क्रमांक 3488047 / प्र0प्रति / 2017–18
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल –462003
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406
Email ID encwrbpl_mp@nic.in

भोपाल, दिनांक / /2018

प्रति,

1. परियेाजना संचालक, विश्व बैंक परि. इकाई
   (पाईकू) कोलार रोड, भोपाल
2. आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास, संचालनालय
   विश्वैश्वरैया भवन, भोपाल
3. समस्त मुख्य अभियंता,
   ....कछार / परियेाजना,
   जल संसाधन विभाग,
   ....(म0प्र0)
4. प्रभारी अधिकारी,
   ग्रंथालय,
   आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा
   प्रशासन अकादमी.
   परियोजना संचालक, बैंक मिशन

विषयः– प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 की प्रतियां कार्यालयीन उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने बावत।

उपरोक्त विषयक विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 की 5–5 प्रतियां कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

सहपत्रः– प्रशासकीय प्रतिवेदन (2017–18)
~~4 प्रतियां~~ 1 प्रति बैंक प्रदाय हेतु

(अजय कुमार सिंहल)
अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्रं. 3488047 / प्र.प्रति. / 2017–18 भोपाल, दिनांक /03/2018

प्रतिलिपिः–

मुख्य अभियंता बोधी एवं अधीनस्थ संचालनालयों हेतु प्रशासकीय प्रतिवेदन की 15 प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

सहपत्रः– प्रशासकीय प्रतिवेदन (2017–18)
15 प्रतियां

(अजय कुमार सिंहल)
अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017-18

मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जिला राजगढ़

जल संसाधन विभाग

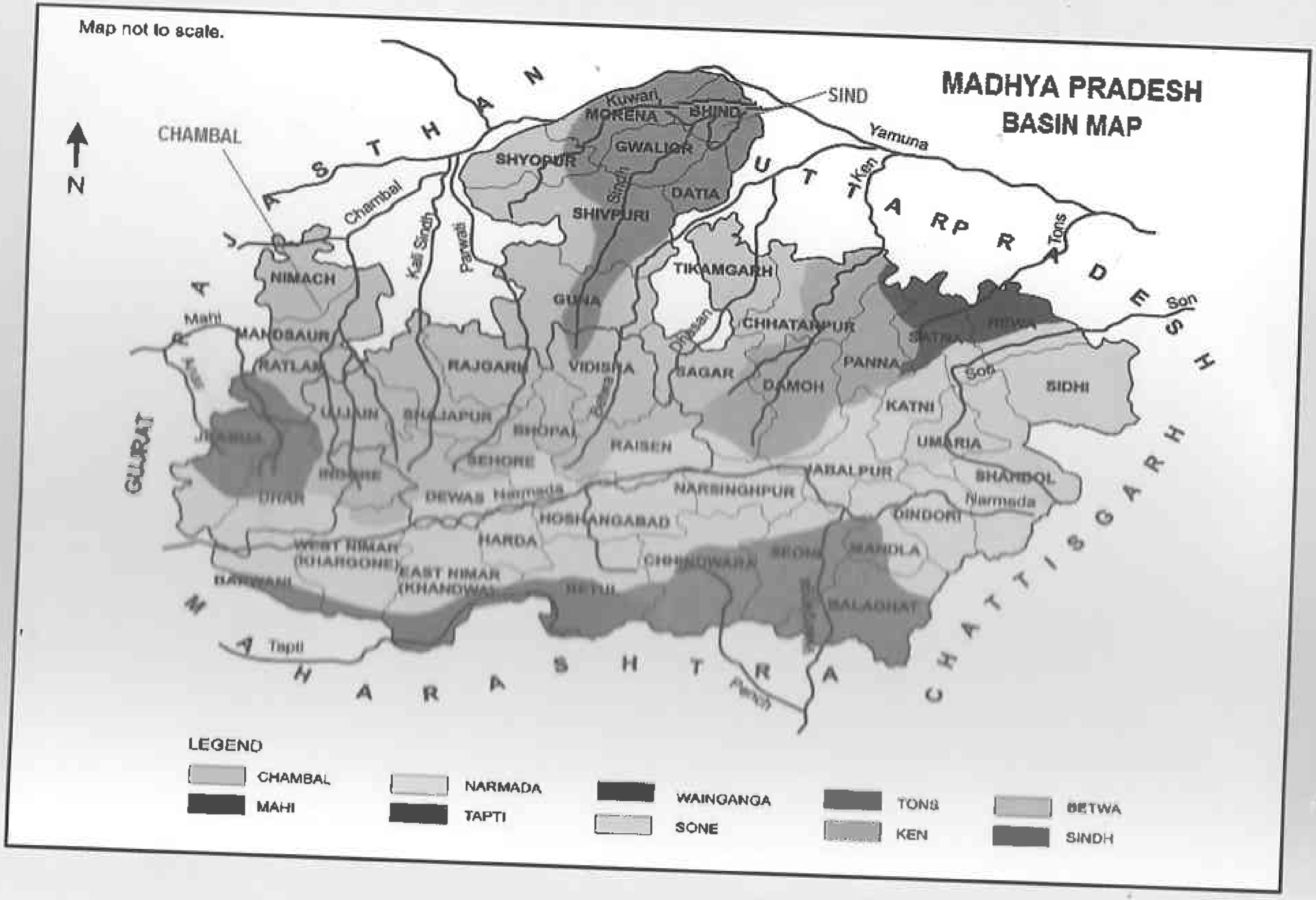
Map not to scale.
MADHYA PRADESH
BASIN MAP
N
CHAMBAL
SIND
Yamuna
Kuwari
MORENA
SHIND
GWALIOR
SHYOPUR
DATIA
SHIVPURI
Sindh
Chambal
Kali Sindh
Parwati
Ken
Tons
Son
TIKAMGARH
GUNA
NIMACH
Mahi
MANDSAUR
RATLAM
RAJGARH
VIDISHA
SAGAR
CHHATARPUR
PANNA
SATNA
DAMOH
SIDHI
KATNI
UMARIA
SHAHDOL
JABALPUR
Narmada
NARSINGHPUR
RAISEN
BHOPAL
SHAJAPUR
UJJAIN
SEHORE
DEWAS
DHAR
HOSHANGABAD
HARDA
DINDORI
MANDLA
BALAGHAT
BETUL
WEST NIMAR (KHARGONE)
EAST NIMAR (KHANDWA)
GUJRAT
Tapti
R A J A S T H A N
U T T A R P R A D E S H
C H A T T I S G A R H
M A H A R A S H T R A
LEGEND
CHAMBAL
MAHI
NARMADA
TAPTI
WAINGANGA
SONE
TONS
KEN
BETWA
SINDH

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

जल संसाधन विभाग

REVA
BARRAGE
SANJAY ENG. LTD
AHMEDABAD
भानपुरा नहर परियोजना

जल संसाधन विभाग
प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017—18

●	विभाग का नाम	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
●	मंत्री	माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा
	मंत्रालय	
●	अपर मुख्य सचिव	श्री राधेश्याम जुलानिया
●	अपर सचिव	श्री कमलेश खरे
●	उपसचिव	श्री आर.पी एस. जादौन श्री व्ही.एस. टेकाम
●	अवर सचिव	श्री पी.के. खरे
	विभागाध्यक्ष	
●	प्रमुख अभियन्ता	श्री राजीव कुमार सुकलीकर
●	आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास	श्री कमलेश खरे
●	परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल	रिक्त

पेंच व्यपवर्तन परियोजना जिला छिंदवाड़ा

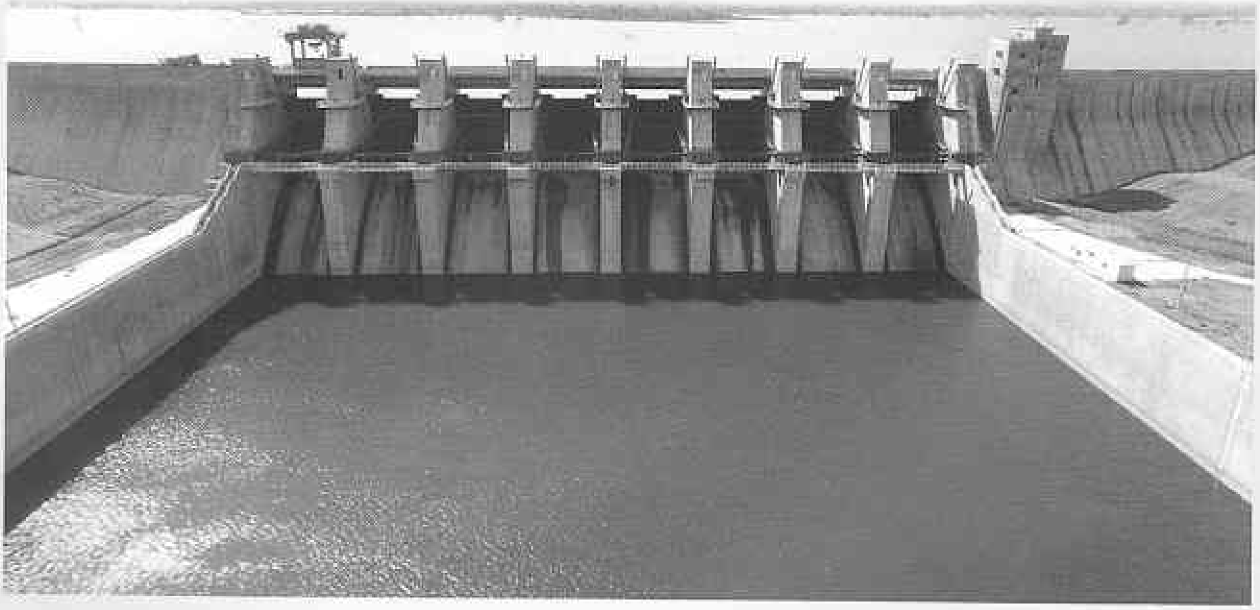

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय–1	**विभाग की संरचना**	
1.1	प्रदेश की सामान्य जानकारी	1
1.2	विभाग की संरचना	2
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण	3
1.4	विभाग का दायित्व	3
1.5	विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य	4
अध्याय–2	**विभागीय बजट**	
2.1	तीन वर्षीय योजना	7
2.2	बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय	8
2.3	विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	8
अध्याय–3	**राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें**	
3.1	विभाग के अधीन परियोजनाएँ	11
3.1.1	वृहद परियोजनाऐं	11
3.1.2	मध्यम परियोजनाऐं	13
3.1.3	लघु सिंचाई योजनाएँ	16
3.1.4	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ	17
3.2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	17
3.2.1	त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) वृहद एवं मध्यम	17
3.2.2	पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.)	18
3.2.3	कमाण्ड क्षेत्र विकास	18
3.3	विश्वबैंक पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजनाएँ	19
3.4	नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाऐं	21
3.5	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) वर्ष 2017–18	22
3.6	बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज	23
अध्याय–4	**सिंचाई एवं राजस्व**	
4.1	सिंचाई	25
4.2	राजस्व	28
4.3	प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति	30

अध्याय–5 विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1	बांध सुरक्षा संगठन	31
5.2	संचालक पी.आई.एम.	32
5.3	सिंचाई अनुसंधान संचालनालय	33
5.4	जल मौसम विज्ञान संचालनालय	35
5.5	भू–जल सर्वेक्षण ईकाई	35
5.6	केन बेतवा लिंक परियोजना	37
5.7	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रकरण	38
5.7.1	लोकायुक्त कक्ष	38
5.7.2	सतर्कता कक्ष	39
5.7.3	जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायतें/ एकल नस्ती प्रकरण/उड़न दस्ता प्रकरण	39
5.8	न्यायालयीन प्रकरण	49
5.9	विधानसभा प्रकोष्ठ	40
5.10	सूचना का अधिकार	41
5.11	दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018 एवं प्राप्त उपलब्धियां	41

अध्याय–6 'जेण्डर मुद्‌दों' पर विभागीय गतिविधि

अध्याय–7 विभाग की प्रतिबध्दताएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1	विभाग की प्रतिबध्दता	45
7.2	महत्वपूर्ण उपलब्धियां	46

अध्याय – एक

विभाग की संरचना

1.1 प्रदेश की सामान्य जानकारी:–

मध्यप्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टर है। जलवायु मूलतः उष्ण कटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। इसे 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुसार 726.27 लाख है, जो देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या का 69.08 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। कृषकों में से 52 प्रतिशत कृषक सीमांत कृषक हैं।

1.1.1 मध्यप्रदेश जल स्त्रोतों से संपन्न राज्य है। राज्य में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही नदियों का उद्‌गम स्थल है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्‌गम हिम विहीन पर्वतों से है। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा, माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर; सोन नदी पूर्व की ओर; चम्बल, बेतवा, केन उत्तर की ओर तथा पेंच एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 75 प्रतिशत निर्भरता पर 81500 मिलियन घनमीटर है जिसमें 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24700 मिलियन घनमीटर जल अंतर्राज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34159 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

1.1.2 मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। वर्ष 2016–17 तक जल संसाधन विभाग द्वारा 29.94 लाख हेक्टर सकल सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया था, जिसके विरूद्ध 2016–17 में रबी 26.51 लाख हेक्टर एवं खरीफ में 2.51 लाख हेक्टर कुल 29.02 लाख हेक्टर में सिंचाई की गई। वर्ष 2017–18 में जनवरी 2018 तक सकल सैंच्य क्षेत्र 30.94 लाख हेक्टर विकसित किया गया है। जिसके विरूद्ध खरीफ में 1.31 लाख हेक्टर एवं रबी में 23.32 लाख हेक्टर कुल 24.63 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। हमारा प्रयास प्रदेश के समस्त शासकीय स्त्रोतों से वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टर करना है। विभाग द्वारा निर्मित बॉधों से अधिकांश महानगरों, नगरों एवं कस्बों में पेयजल हेतु पानी भी प्रदाय किया जा रहा है।

1.2 विभाग की संरचना

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। जल संसाधन विभाग को, प्रदेश में शासकीय जल स्त्रोतों से जल संसाधन परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन (नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं को छोड़कर) का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के सैंच्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभाग के अधीन है। जल संसाधन विभाग की स्थापना में दो विभागाध्यक्ष (1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन एवं 1 आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय) एवं 14 मुख्य अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं।

1.2.1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मैदानी मुख्य अभियंताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र इस प्रकार हैः–

1. **चम्बल बेतवा कछार, भोपालः**

जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर।

2. **नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौरः**

जिला इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास,शाजापुर एवं आगर मालवा।

3. **होशंगाबादः**

जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा तथा बारना (रायसेन एवं सीहोर जिला) एवं कोलार वृहद परियोजना (जिला सीहोर) का सिंचित क्षेत्र।

4. **यमुना कछार, ग्वालियरः**

जिला ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर–कलां (सिंध परियोजना द्वितीय चरण को छोड़ कर)।

5. **गंगा कछार, रीवाः**

जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।

6. **धसान केन कछार, सागरः**

जिला सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह एवं टीकमगढ़।

7. **बैनगंगा कछार, सिवनीः**

जिला सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं कटनी।

8. **राजघाट नहर परियोजना, दतियाः**

राजघाट नहर एवं सिंध परियोजना द्वितीय चरण का कार्य जिससे दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर जिलों में सिंचाई होती है।

1.2.2 मुख्य अभियन्ता (विशेष प्रयोजन)

1. मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाईन (बोधी) भोपाल
2. मुख्य अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भोपाल

3. मुख्य अभियंता, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल, इनके कार्यक्षेत्र में राजगढ़ जिले की दो वृहद परियोजनाएं मोहनपुरा एवं कुण्डालिया हैं।
4. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) केन्द्रीय निविदा इकाई, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना, भोपाल
6. मुख्य अभियंता, अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई, भोपाल

1.2.3 आयुक्त, कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, भोपाल

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभागान्तर्गत प्रमुख अभियंता, आयुक्त (प्रमुख अभियन्ता स्तर) कमांड क्षेत्र विकास, परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें (मुख्य अभियंता स्तर) भोपाल सहित 13 मुख्य अभियंता (नागरिक), एक मुख्य अभियन्ता (वि.यां.), 35 मंडल कार्यालय, आयाकट से संबंधित 8 प्रकोष्ठ, 128 संभाग तथा 545 उपसंभाग (वि.या./भूजल इकाई सहित) कार्यरत हैं । इस विभाग की संरचना से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में अमला उपलब्ध कराया जाता है साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य तकनीकी परीक्षक, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय एवं प्रदेश के अन्य विभागों/प्रधिकरणों में शासकीय सेवकों की सेवाएँ शासन की अनुमति उपरांत प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती हैं ।

वर्तमान में विभाग में प्रथम श्रेणी के 345, द्वितीय श्रेणी के 1147, तृतीय श्रेणी के 8864 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2000 पद स्वीकृत हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ–साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के लगभग 6385 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अमले द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से सबंधित सर्वेक्षण, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही स्वारा एवं स्वाराडेक अंतर्गत विभिन्न संभागों में 26 पद प्रति माह मानदेय पर स्वीकृत हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ–साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के विभिन्न संवर्ग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कुल 5782 कर्मचारी कार्यरत हैं। स्थाई कर्मियों की संख्या भी लगभग 11,400 है।

1.4 विभाग का दायित्व

मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत :–

- राज्य के जल संसाधन का आंकलन करना और एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की व्यापक योजना बनाना, नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना।
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के विकास के क्रियान्वयन का कार्य करना।

- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर, सिंचाई के लिए जल संसाधनों के सम्यक अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंकडों को एकत्र करना, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा नीति निर्धारण।
- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण तथा निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- बांधो, नहरों का समग्र रूपांकन, निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रतिकृति अध्ययन।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा जल विज्ञान की सहायता से जलाशयों का बाढ़ के समय परिचालन।
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की नीति के अनुरूप सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन ।
- पुराने बांधों का सुदृढ़ीकरण करना।
- केन्द्र शासन को जल संसाधन से सबंधित विभिन्न विषयों पर सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से सबंधित परिषदों में प्रदेश का पक्ष रखना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से राज्यों के मध्य अनुबंध अनुसार सिंचाई के लिये जल प्राप्त/प्रदाय करना।
- जल से सबंधित विषयों पर अन्य विभागों को सहयोग देना ।
- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य एवं संवर्ग प्रबन्धन।
- विभागीय कार्यो की दरों को समय–समय पर पुनरीक्षित करना, तकनीकी निर्देश, नियम इत्यादि तैयार करना।

1.5 विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

1.5.1 प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रदेश के लिये कार्यरत हैं । प्रमुख अभियंता शासन के लिए अपने कार्यक्षेत्र हेतु सलाहकार हैं तथा मुख्य अभियन्ताओं के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।

1.5.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विकास की समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सर्वेक्षण, निर्माण, अनुरक्षण कार्य एवं सिंचित क्षेत्र का विकास कराते हैं।

वे अपने कार्य क्षेत्र की कार्य योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5.3 अधीक्षण यंत्री

अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के अधीन लेखा, कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यो के सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अधीक्षण यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अतंर्गत कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये नियंत्रण अधिकारी हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों में गतिशीलता प्रदान करना भी उनका दायित्व है।

1.5.4 कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख हैं। वे अधीक्षण यंत्री के नियंत्रण में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालन यंत्री के कार्यों में सिंचाई, परियोजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं सिंचाई के साथ अन्य समस्त अभियांत्रिकीय कार्य हैं। कार्यों पर नियंत्रण रखकर क्रियान्वयन कराना कार्यपालन यंत्री का दायित्व है। जल संसाधन संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री उसके जिले में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि का काम करता है।

1.5.5 सहायक यंत्री

कार्यपालन यंत्री के अधीन सहायक यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण तथा सिंचाई कराने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। सहायक यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से मापदण्ड, ड्राईंग एवं नियमों के अंतर्गत कार्यों का सम्पादन कराने के लिये उत्तरदायी हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुए सहायक यंत्री को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना है एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये उन्हें अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

1.5.6 उपयंत्री

उपयंत्री कार्य स्थल पर कार्यों के प्रभारी हैं जो कार्यस्थल पर निर्माण कार्यो के निष्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित करते हैं। जल कर वसूली के लिए उन्हें नहर अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। उपयंत्री जल उपभोक्ता संथा के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी हैं।

कुण्डलिया वृहद परियोजना जिला राजगढ़

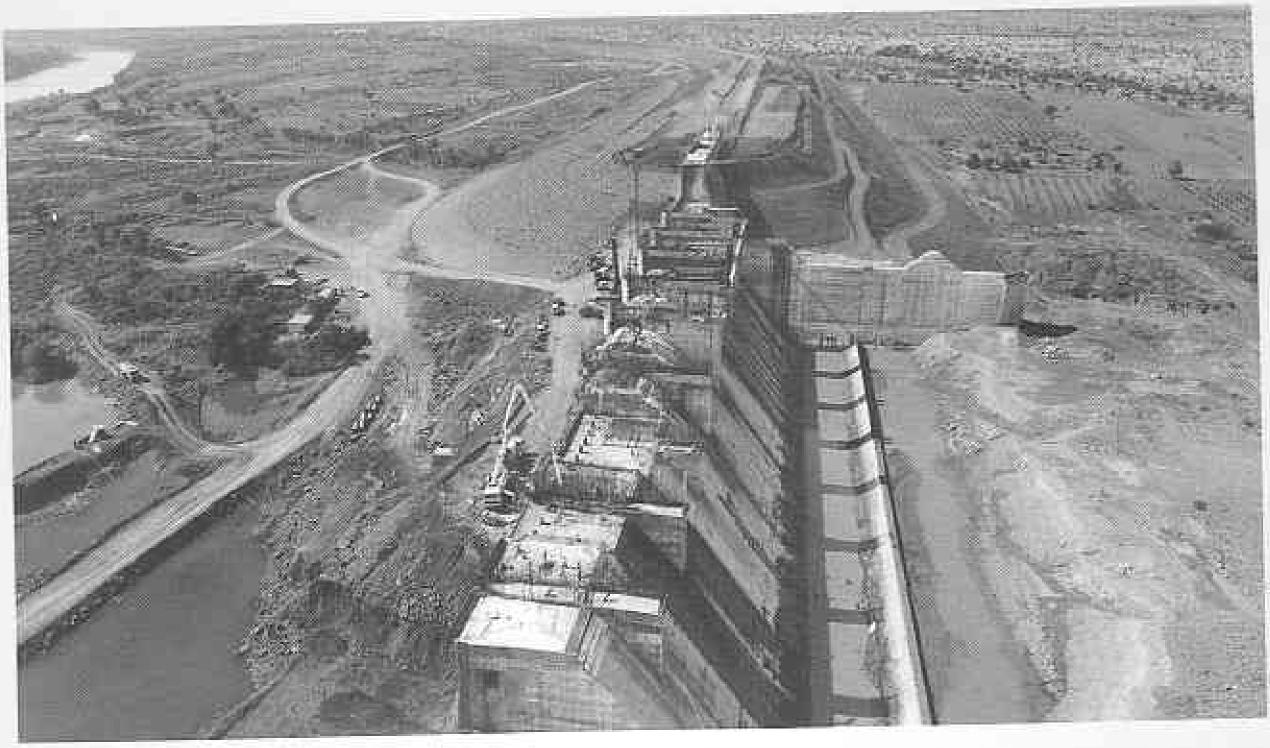

अध्याय – दो

विभागीय बजट

2.1 तीन वर्षीय योजना :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–12 में राशि रु. 8715.33 करोड़ निवेश कर निर्मित सैंच्य क्षेत्र में 5.07 लाख हेक्टर क्षेत्र की वृद्धि कर कुल 24.53 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (2012–2017) में राशि रु. 21827.55 करोड़ निवेश कर 5.41 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया । वर्तमान में जनवरी 2018 तक की स्थिति में कुल सैंच्य क्षेत्र 30.94 लाख हेक्टेयर विकसित किया जा चुका है।

राज्य योजना आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार तीन वर्षीय कार्य योजना (वर्ष 2017–2020) विभाग द्वारा तैयार की गई है, जिसमें अनुमानित राशि रु. 26643.276 करोड़ का निवेश कर 5.25 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किये जाने का लक्ष्य है ।

तीन वर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत वर्ष (2017–2020) में प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि रुपये करोड में, सिंचाई लाख हेक्टर में)

योजना	तीन वर्षीय योजना का लक्ष्य		वार्षिक योजना वर्ष 2017–2018				वार्षिक योजना 2018–19	
			लक्ष्य		उपलब्धि (दिसंबर 2017 तक)		लक्ष्य	
	वित्तीय प्रावधान	सिंचाई क्षमता	वित्तीय प्रावधान	सिंचाई क्षमता	व्यय	निर्मित सिंचाई क्षमता	वित्तीय प्रावधान	प्रस्तावित सिंचाई क्षमता
वृहद एवं मध्यम योजना	19687.552	3.75	6904.68	1.15	3228.22	0.60	6912.77	1.15
लघु योजना	5835.124	1.50	1118.69	0.60	803.67	0.40	1948.40	0.60
बाढ़ नियंत्रण	40.00	–	9.99	–	8.23	–	15.00	–
आयाकट(कमांड क्षेत्र विकास)	1080.60	–	380.60	–	224.60	–	285.00	–
कुल योग	26643.276	5.25	8413.96	1.75	4264.72	1.00	9226.17	1.75

2.2 बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय

विभाग का वर्ष 2013–14 से बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:–

(रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	योजना मद		गैर योजना मद		कुल योग	
	प्रावधान	निवेश	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2013–2014	3311.08	3265.33	549.26	542.90	3860.34	3808.23
2014–2015	3609.66	3540.88	589.04	587.74	4198.70	4128.62
2015–2016	5295.74	5228.00	581.63	580.85	5877.37	5808.85
2016–2017	6759.54	6745.66	656.51	620.91	7416.15	7366.57
	पूंजीगत अनुभाग		राजस्व		कुल योग	
2017–2018 (दिसंबर 2017 तक)	7160.33	4264.72	1253.63	733.91	8413.96	4998.64

2.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी समस्त प्रशासनिक, तकनीकी आदेश व निर्देश एवं विभागीय जानकारियॉ, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

2.3.1 ई–प्रोक्योरमेंट :–

विभाग में ई–निविदा प्रणाली 01.02.2009 से आरम्भ हुई। प्रारम्भ में यह व्यवस्था राशि रू. 1 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए थी, परन्तु वर्तमान में विभाग की समस्त निविदाऍं ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

निविदाओं के निराकरण में लगने वाले समय में कमी, पारदर्शिता एवं ठेकेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने 08/2011 में केन्द्रीकृत निविदा प्रकोष्ठ का गठन किया था। रु. 20.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण से ऐजेंसी निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

वर्ष 2017–18 में (दिसंबर–2017 तक) रूपये 20 लाख से अधिक राशि की ई–निविदा के माध्यम से प्रकोष्ठ द्वारा आमंत्रित निविदाओं एवं कार्यों, उनकी लागत एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है–

आमंत्रित की गई कुल निविदायें	आमंत्रित कार्यों की संख्या	आमंत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि (रु. लाख में)	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों की कुल राशि (रु.लाख में)
48	366	514301.55	167	171985.88

2.3.2 विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाईन करने के लिए 'इन्टरप्राइज इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम–ई.आई.एम.एस' तैयार किया गया है जिसके उपयोग से मानिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रमुख मॉड्यूल जो अभी उपयोग किए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:–

- **'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम'**: विभाग के सभी वृहद एवं मध्यम जलाशयों की प्रतिदिन एस.एम.एस. से जलस्तर एवं जल की मात्रा की जानकारी वर्षाकाल में संकलित की जाती है।
- **'ई–मेजरमेंट बुक'**: रूपए दस लाख से अधिक के निर्माण कार्यों के अनुबंधों में ठेकेदार के बिल तैयार करने में इसका उपयोग किया जा रहा है।
- **'नॉन एग्रीकल्चर रेवेन्यू मानिटरिंग'** : औद्योगिक उपयोग के प्रदाय जल के बिल तैयार करने एवं इस मद की राजस्व प्राप्ति की जानकारी की मानिटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- **'इरीगेशन मानिटरिंग मॉड्यूल'** : जलाशयों में जल के संग्रहण, सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण एवं उपलब्धि की समीक्षा वेबसाईट पर जानकारी दर्ज कर की जाती है। रबी सीजन में सिंचाई की जानकारी पाक्षिक रूप से माह की 5 एवं 20 तारीख तक वेबसाईट पर अद्यतन की जाती है।
- **निविदा संबंधी आदेश: (Tender Related Orders)** इस खण्ड के अंतर्गत निविदा विज्ञप्ति, निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचना, निविदा मूल्यांकन संबंधी बैठकों एवं निविदा संबंधी नियमों/आदेशों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।

- **नवीन स्वीकृतियॉः (New Sanctions)** इस खण्ड के अंतर्गत नवीन स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेशों का प्रकाशन एवं विगत समय में जारी आदेशों का संकलन प्रदर्शित किया जाता है।
- विभाग प्रमुख एवं शासन से जारी होने वाले समस्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- सामान्य तौर पर उपयोगी विभागीय तकनीकी परिपत्र, दरसूची, विनिर्देश एवं अधिनियम भी संबंधित खण्डों के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, इन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

उक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपयोग से जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कागजी दस्तावेज संधारित करने की आवश्यकता घटकर लगभग 50 प्रतिशत हो गई है एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान द्रुतगति से होने लगा है। इससे विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

संजय सरोवर परियोजना जिला सिवनी

अध्याय – तीन

राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें

सिंचाई परियोजनाएं

3.1 विभाग के अधीन परियोजनाएं

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 20 वृहद्, 51 मध्यम तथा 404 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2017 तक लगभग 30.94 लाख हेक्टर सकल सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। 3 वर्षों में (वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक) 5.25 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र निर्मित किया जाना लक्षित है, जिससे निर्मित सिंचाई क्षमता 29.94 लाख (मार्च 2017 की स्थिति में) से बढ़कर 35.19 लाख हेक्टर हो जाना संभावित है।

3.1.1 वृहद परियोजनायें:

प्रदेश में 17 वृहद् परियोजनाएं पूर्ण की चुकी है। निम्न 20 वृहद् परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

3.1.1.1 निर्माणाधीन वृहद परियोजनाएं :–

(राशि रु.करोड़ मे, सिंचाई हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र	भौतिक प्रगति		पूर्णता लक्ष्य
					बॉध	नहर	
1	मोहनपुरा सिंचाई परियोजना	राजगढ़	3866.34	125000	95 %	27 %	06/2021
2	कुंडालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	राजगढ़	3448.00	125000	65 %	0%	06/2021
3	माही परियोजना	धार / झाबुआ	834.24	33752	100%	75%	12/2018
4	गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	360.20	21400	आवश्यक नहीं	16%	10/2019
5	मानपुरा यूनिट I एवं II	मंदसौर	183.70	9490	85%	100 %	03/2018
6	ज्ञानगढ़ सुवासरा उद्वहन नहर सिंचाई परियोजना	मंदसौर	799.34	40000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		03/2021
7	बाणसागर परियोजना	रीवा / सीधी / शहडोल / सतना	3858.73	291620	पूर्ण	फेज I– 95% फेज II-40%	06/2018
8	महान परियोजना	सीधी	486.96	22770	100%	90%	06/2020
9	[illegible]नगर माइक्रो इरिगेशन	सतना	387.08	20000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		09/2020
10	नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन	रीवा	856.04	50000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		09/2020
11	सिंध द्वितीय चरण (हरसी हाई सहित)	ग्वालियर / भिंड / शिवपुरी / दतिया	2033.92	162100	100%	96%	03/2018
12	बानसुजारा परियोजना	टीकमगढ़	1768.50	75000	76 %	35 %	07/2019
13	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	389.77	20000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		10/2019

14	लोअर ओर परियोजना	शिवपुरी	2208.03	90000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		03/2021
15	बरियारपुर बायीं नहर परियोजना	छतरपुर	625.00	43850	100%	99%	06/2018
16	पंचमनगर परियोजना काम्पलेक्स (गोपालपुरा नहर सहित)	दमोह	674.90	25000	100%	10%	08/2019
17	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	सागर / विदिशा	3735.90	90000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		06/2020
18	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	सिवनी / छिन्दवाड़ा	2544.57	85000	98 %	75%	06/2019
19	राजीव सागर परियोजना (बावनथड़ी)	बालाघाट	475.58	18615	100%	99%	03/2019
20	गौड़ परियोजना	सिंगरौली	1097.67	34500	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		03/2021

3.1.1.2 प्रस्तावित वृहद परियोजनाएं :

स.क्र.	परियोजना	जिला	अनुमानित लागत (रु.करोड़ में)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर में)
1	कोठा बैराज परियोजना	विदिशा	750.75	20000
2	पार्वती रिन्सी परियोजना	राजगढ़	1732.17	48663
3	सिंध बैराज (सैंवढ़ा) परियोजना	दतिया	371.0	43275
4	मझगवॉ माइक्रो इरीगेशन योजना	सतना	375.84	20000

3.1.1.3 चिन्हित वृहद परियोजनाएं :

स. क्र.	परियोजना	जिला	अनुमानित लागत (रु.करोड़ में)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर में)
1	ढेंकना वृहद परियोजना	बैतूल	235.0	40000
2	रामपुरा मनासा (कुकड़ेश्वर) उद्वहन (सूक्ष्म) सिंचाई परियोजना	मंदसौर	855.55	40000
3	कयामपुरा उद्वहन (सूक्ष्म) सिंचाई परियोजना	मंदसौर	900.0	40000
4	मल्हारगढ़ सूक्ष्म वृहद् परियोजना	मंदसौर	900.0	40000
5	शिवना नदी वृहद परियोजना	मंदसौर	900.0	25000
6	नावथा वृहद परियोजना	बुरहानपुर	67.29	18000
7	ताप्ती खंडवा लिंक परियोजना	खण्डवा, बैतूल	1000.00	60000

3.1.1.4 वृहद् परियोजनाओं का ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation)

स.क्र.	परियोजना	प्रशासकीय स्वीकृति (रु. करोड़)	पूर्णता लक्ष्य
1	राजघाट नहर परियोजना	56.83	03/2017
2	अपर वैनगंगा परियोजना	200.33	केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन
3	संजय सरोवर परियोजना	200.33	प्रक्रियाधीन

4	थांवर परियोजना	84.33	प्रक्रियाधीन
5	तवा विस्तारीकरण परियोजना	947.99	10/2018
6	बारना विस्तारीकरण परियोजना	581.00	06/2018

3.1.2 मध्यम परियोजनाएं:

प्रदेश में 84 मध्यम परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न 51 मध्यम परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

3.1.2.1 निमार्णाधीन मध्यम परियोजनाएँ :–

(राशि रु.करोड़ में, क्षेत्र हेक्टर में)

क्र.	परियोजना	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र	भौतिक प्रगति		पूर्णता लक्ष्य
					बाँध	नहर	
1	कछाल परियोजना	आगर	91.39	3170	100%	100%	3/2018
2	कोटखेडी परियोजना	आगर	66.47	3350	99%	98%	6/2018
3	चापूनी परियोजना	देवास	235.54	9800	100%	79%	6/2018
4	बरखेड़ा परियोजना	धार	308.56	9900	5%	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	6/2020
5	कारम परियोजना	धार	304.44	8750	एजेंसी निर्धारित	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	6/2021
6	भाम–राजगढ़ परियोजना	खण्डवा	228.11	6100	एजेंसी निर्धारित	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	1/2019
7	आंवलिया परियोजना	खंडवा	165.08	5000	एजेंसी निर्धारित	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	1/2020
8	इटौख बैराज परियोजना	उज्जैन	220.78	6100	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		6/2019
9	मावला मध्यम सिंचाई परियोजना	बुरहानपुर	104.45	2310	वन प्रकरण प्रकियाधीन		3/2021
10	महान विस्तार (बहरी नहर)	सीधी	204.01	7500	आवश्यक नही	5%	4/2019
11	हिरदार माइक्रो इरीगेशन	शहडोल	101.00	7000	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		3/2021
12	कल्के की मऊ	गुना	42.66	1150	93%	61%	06/2018
13	कनेरा उदवहन	सीहोर	51.56	4080	100%	98%	06/2018
14	घोघरा परियोजना	सीहोर	145.36	7775	100%	99%	2/2018
15	नीम कोलार परियोजना	सीहोर	137.00	6100	80%	70%	6/2018
16	खरसानिया उपनहर	सीहोर	46.12	4915	आवश्यक नहीं	29%	10/2018
17	सिमरी परियोजना	रायसेन	150.44	5700	100%	89%	6/2018
18	दीवानगंज सिंचाई परियोजना	रायसेन	81.34	7000	आवश्यक नहीं	65%	6/2018
19	सेन मध्यम परियोजना	विदिशा	383.15	9990	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		6/2023
20	संजय सागर परियोजना	विदिशा	291.95	13693	100%	98%	3/2018
21	लगड मध्यम परियोजना	विदिशा	296.64	13278	100%	98%	3/2018
22	कचरैल मध्यम परियोजना	विदिशा	88.57	2250	100%	98%	3/2018
23	कोतन बैराज	मुरैना	112.83	5500	20%	आवश्यक नहीं	3/2019

24	खर्राघाट परियोजना	दतिया	33.07	3500	आवश्यक नहीं	33%	12/2016
25	श्यामरी परियोजना	छतरपुर	114.76	1000	18%	0%	6/2018
26	सिंहपुर बैराज	छतरपुर	260.63	12474	99.5 %	99 %	3/2018
27	तरपेड़ परियोजना	छतरपुर	82.74	4300	85%	45%	06/2018
28	सूरजपुरा परियोजना	सागर	70.61	4325	96%	45%	3/2018
29	सोनपुर परियोजना	सागर	127.46	7000	100%	51%	6/2018
30	परकुल परियोजना	सागर	114.96	3200	0%	17%	6/2019
31	कैथ परियोजना	सागर	162.47	5135	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		3/2021
32	कड़ान परियोजना	सागर	385.79	9990	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		3/2021
33	पवई परियोजना	पन्ना	261.54	9952	68%	67%	6/2018
34	मझगाय परियोजना	पन्ना	358.99	12600	27%	0%	6/2018
35	रुन्ज परियोजना	पन्ना	269.79	12550	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		6/2019
36	पतने परियोजना	पन्ना	259.57	9340	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		3/2021
37	जूडी परियोजना	दमोह	240.24	8500	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		03/2020
38	साजली परियोजना	दमोह	366	9950	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		12/2019
39	सतधारू परियोजना	दमोह	315.65	7555	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		03/2020
40	पारसडोह परियोजना	बैतूल	382.29	13340	49%	0%	10/2019
41	नाचक उप नहर परियोजना	हरदा	53.01	8100	आवश्यक नहीं	95%	3/2018
42	खिरकिया नहर परियोजना	हरदा	18.127	2700	आवश्यक नहीं	80%	3/2018
43	बिलगांव परियोजना	डिण्डौरी	269.9	9980	98%	85%	6/2018
44	मुरकी जलाशय	डिण्डौरी	169.03	5150	20%	20%	6/2020
45	खरमेर परियोजना	डिण्डौरी	348.10	9980	एजेंसी निर्धारित	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	6/2021
46	डिंडोरी जलाशय	डिण्डौरी	384.08	9920	एजेंसी निर्धारित	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	6/2021
47	करंजिया जलाशय	डिण्डौरी	132.00	9100	आवश्यक नहीं	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	6/2021
48	अपर तिलवारा परियोजना	सिवनी	120.02	7950	आवश्यक नहीं	74%	5/2019
49	बघराजी परियोजना	जबलपुर	33.42	2600	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		3/2021
50	हिरन परियोजना	जबलपुर	225.99	8125	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		6/2021
51	छीताखुदरी जलाशय	जबलपुर	310.01	8920	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन		6/2021

2.2 प्रस्तावित मध्यम परियोजनाऍं :–

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्ट. में)	रिमार्क
1	टिकटोली	ग्वालियर	42.34	3170	डी.पी.आर. परिक्षणाधीन
2	केटोखेड़ा	श्योपुर	330.00	9950	डी.पी.आर. परिक्षणाधीन
3	उरी उद्वहन	धार	175.00	5000	सर्वेक्षणाधीन
4	कुंडिया	खरगोन	330.40	9440	सर्वेक्षणाधीन
5	गढ़ा	बैतूल	304.89	6900	शासन को प्रस्तुत
6	नागदेव	बैतूल	150.00	5000	सर्वेक्षणाधीन
7	निरगुड़	बैतूल	68.02	3000	सर्वेक्षणाधीन
8	वर्धा	बैतूल	159.51	4700	डी.पी.आर. परिक्षणाधीन
9	मेढ़ा	बैतूल	270.00	9000	सर्वेक्षणाधीन
10	घोघरी	बैतूल	225.00	7500	सर्वेक्षणाधीन
11	अपर ओर मध्यम परियोजना	अशोकनगर	299.7	9000	डी.पी.आर. परिक्षणाधीन
12	सतकोटा बांध	सीहोर	106.39	3600	सर्वेक्षणाधीन

2.3 चिन्हित मध्यम परियोजनाएं:

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	स. क्र.	योजना का नाम	जिला
1	बिरलई तालाब	धार	17	झिरमिटी मध्यम परियोजना	बुरहानपुर
2	[illegible] मध्यम परियोजना	बुरहानपुर	18	पिपरार मध्यम परियोजना	खण्डवा
3	जावर मध्यम परियोजना	खण्डवा	19	सोनगिर मध्यम परियोजना	खण्डवा
4	पटरानी मध्यम परियोजना	देवास	20	करन नदी परियोजना	रतलाम
5	कासरानी मध्यम परियोजना	देवास	21	किशनपुरा मध्यम परियोजना	देवास
6	बेनी तालाब	बड़वानी	22	हरवाखेड़ी तालाब	उज्जैन
7	आऊ मध्यम परियोजना	आगर	23	उरी माइक्रो उदवहन सिंचाई योजना	धार
8	मुंडिया तालाब	खरगौन	24	मझगवॉं धनवाही परियोजना	सतना
9	झिन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	सतना	25	मियार बॉंध सिंचाई परियोजना	सिंगरौली
10	दिसाखेड़ी अंतर्राज्यीय परियोजना (नहर रहित)	गुना	26	घाटाखेड़ी मध्यम परियोजना	राजगढ़
11	ऐर मध्यम परियोजना	शिवपुरी	27	मुंझरी परियोजना	श्योपुर
12	खिरई मध्यम परियोजना	शिवपुरी	28	पजनारी परियोजना	सागर
13	लांच नदी परियोजना	सागर	29	बेबस परियोजना	सागर
14	जेरा परियोजना	सागर	30	रंभा मध्यम परियोजना	बैतूल
15	आपचंद परियोजना	सागर	31	कुकड़ापानी जलाशय	हरदा
16	तजपुरा (अजनाल) कोलार लिंक परियोजना	सीहोर			

3.1.2.4 मध्यम परियोजनाओं का ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation)

स.क्र.	परियोजना	अनुमानित लागत (रु.करोड़)	पूर्णता लक्ष्य
1	देजला देवड़ा परियोजना	17.49	3/2018
2	मटियारी जलाशय	25.76	3/2019
3	सरोठी जलाशय	25.87	3/2018
4	चन्द्रकेशर मध्यम परियोजना	1563.00	03/2020
5	बुण्डाला परियोजना	1025.80	06/2020
6	चंदौरा परियोजना	1002.80	06/2020
7	सांपना मध्यम परियोजना	8.28	03/2020
8	रामपुर परियोजना	34.97	03/2018
9	नरेन मध्यम परियोजना विदिशा	100.71	06/2019
10	कैथन मध्यम परियोजना विदिशा	129.81	06/2019
11	धोलावड़ (सरोज सरोवर) परियोजना	5.72	6/2017

3.1.3 लघु सिंचाई योजनाए :–

प्रदेश में 4911 लघु परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न 404 लघु परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में	स.क	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
1	मुरैना	9	3890	6129.85	2	छिंदवाड़ा	19	11380	27175.61
3	शिवपुरी	04	3450	7811.34	4	डिंडोरी	08	3497	7394.38
5	श्योपुर	03	905	1232.17	6	जबलपुर	04	2863	8510.06
7	भिण्ड	02	500	909.97	8	मंडला	07	3157	9757.56
9	अशोकनगर	04	865	1215.92	10	सिवनी	10	5124	13207.64
11	भोपाल	01	1990	4458.22	12	छतरपुर	03	920	1543.72
13	गुना	05	2129	4840.92	14	दमोह	15	4825	11592.17
15	रायसेन	13	4729	9025.08	16	सागर	22	11984	31348.69
17	सीहोर	9	4369	9013.37	18	टीकमगढ	05	3697	8208.54
19	विदिशा	12	14278	18200.14	20	अनूपपुर	09	5010	14330.12
21	बैतूल	29	9979	30951.92	22	रीवा	02	2083	3688.13
23	अलीराजपुर	02	740	1554.47	24	सतना	04	3135	4479.67
25	बड़वानी	19	9780	23827.69	26	शहडोल	15	8438	27142.29
27	बुरहानपुर	7	2555	5450.33	28	सीधी	01	410	1433.33
29	देवास	09	3750	7743.63	30	उमरिया	13	7394	16753.59
31	धार	17	6491	15112.56	32	राजगढ	23	9252	23649.15
33	इंदौर	04	1260	2712.73	34	पन्ना	25	22719	40401.36
35	झाबुआ	06	1894	3758.59	36	उज्जैन	06	6275	9176.14

37	खण्डवा	02	1252	4365.33	38	ग्वालियर	01	3170	4234.00
39	खरगोन	05	6250	16411.15	40	बालाघाट	04	825	1676.36
41	नीमच	01	430	1501.24	42	मंदसौर	07	3195	5354.71
43	रतलाम	24	9572	25783.05	44	शाजापुर	14	7416	10489.67
						कुल :–	404	217827	483556.6

3.1.4 सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ :–

सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 26.04.2016 को समिति का गठन किया गया। समिति की प्रथम बैठक दिनांक [illegible]2016 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–11–09/2017/1/9 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई मिशन का गठन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया।

प्रदेश में उपलब्ध जल की सीमित मात्रा को देखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा माइक्रो सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं से प्रवाह सिंचाई द्वारा सिंचित क्षेत्र से उच्च स्तर पर स्थित क्षेत्र में भी सिंचाई करना संभव है तथा सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता भी लगभग आधी (50 प्रतिशत) है। जल के कुशल उपयोग होने से फसलों को जल अधिकता से होने वाली हानि से भी बचाव होता है तथा प्रति हेक्टर अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है।

प्रदेश में वर्तमान में कुल 13 वृहद एवं 18 मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इनके पूर्ण होने पर क्रमशः 637773 हेक्टर एवं 140610 हेक्टर कुल 778383 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। प्रस्तावित 5 वृहद एवं 4 मध्यम योजनाओं से कुल 252440 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः–

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" लागू की गई है। ए.आई.बी.पी. एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक निम्नानुसार हैः–

1. ए.आई.बी.पी.।
2. हर खेत को पानी।
3. पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
4. जलग्रहण क्षेत्र विकास।

3.2.1 त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) वृहद एवं मध्यमः–

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधूरी सिंचाई परियोजनाओं, को निश्चित अवधि में पूरा करने तथा ऐसी बड़ी सिंचाई परियाजनाओं, जिनका वित्त पोषण राज्यों की वित्तीय क्षमता के लिये कठिन हो, को कियान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध

कराई जा रही है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आदिवासी एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं हेतु 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 7 वृहद योजनायें (1–बाणसागर द्वितीय चरण, 2–बरियारपुर बांयी तट नहर, 3–महान (गुलाब सागर) परियोजना 4– माही परि0, 5– पेंच व्यपवर्तन, 6–राजीव सागर (बावनथाडी) परि0, 7– सिंध (द्वितीय चरण) एवं 4 मध्यम योजनायें (1–सगढ़ 2–संजय सागर, 3–सिंहपुर बैराज एवं 4– महुअर) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से वर्ष 2017–18 तक ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत 564 लघु सिंचाई योजनाएँ क्रियान्वित की गईं। वर्तमान स्थिति में 512 योजनाएँ पूर्ण हैं तथा 52 लघु सिंचाई योजनाएँ निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इन 564 योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत राशि रु. 2911.41 करोड़ है जिसके विरुद्ध 1898.95 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। उक्त योजनाओं की रूपांकित सिंचाई क्षमता 1,34,127 हेक्टर है जिसके विरुद्ध 1,20,439 हेक्टर सिंचाई क्षमता दिसम्बर–2017 तक निर्मित की जा चुकी है।

3.2.2 पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.) :–

विगत 6 वर्षों से पूर्व निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं के सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना का कार्य किया जा रहा है । यह कार्यक्रम हरखेत को पानी योजना का घटक है। इसके अंतर्गत वर्ष 2011 से 2016 तक कुल 339 परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 261 परियोजनाओं का सुधार, सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। इससे लगभग 55800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति की गई है ।

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर.2017 तक) में 78 योजनाओं के कार्य निर्माणाधीन है। इसमें से 18 योजनाओं के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर 20398 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति की गई है। वर्ष 2017–18 में 5 नवीन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिससे 5864 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति होगी।

3.2.3 कमाण्ड क्षेत्र विकासः–

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 23 परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत् 10.377 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र के विरुद्ध मार्च–2016 तक 4.315 लाख हेक्टर में वाटर कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण कार्य कराया जा चुका है। स्वीकृत 23 परियोजनाओं में से वैनगंगा, बाघ परियोजना एवं कुंवरचैन सागर परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के 0.71 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया गया, जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक 4.842 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया जा चुका है । परियोजनाओं के कमांड में फील्ड चैनल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं निम्नानुसार हैं :–

(राशि लाख में क्षेत्र हे.में)

[illegible]	परियोजना का नाम	सी.सी.ए. (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31.03.17 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2017–18 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2017 तक	वर्ष 2017–18 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)
[illegible]	[illegible] परियोजना	45087	8400.00	25895	2169	1259	0.00
[illegible]	[illegible] परियोजना	112900	16729.34	112900	CSD का कार्य प्रगतिरत		0.00
[illegible]	[illegible] अवंतीबाई लोधी [illegible]	157000	31162.40	56308	10000	6410	0.00
[illegible]	[illegible] नहर [illegible]	164789	38936.28	107994	17000	14353	0.00
[illegible]	[illegible]पुर परियोजना	38990	8541.60	24977	7000	3603	396.63
[illegible]	[illegible] सागर	3700	614.072	3448	C.S.D. का कार्य प्रगतिरत		0.00
[illegible]	[illegible] परियोजना	62675	15894.77	52992	3000	4231.00	3.00
[illegible]	[illegible] परियोजना	16600	2889.15	16600	C.S.D. का कार्य प्रगतिरत		0.00
[illegible]	[illegible] सागर परियोजना	154687	59146.30	77012	32000	18620	1596.50
[illegible]	[illegible] वृहद परियोजना [illegible]–1	98250	39408.83	35987	36500	30195	0.00
[illegible]	[illegible] मध्यम परियोजना	2194	825.68	919	1500	1071	0.00
[illegible]	[illegible]पुर परियोजना	6000	2255.00	2048	3352	3005	220.47
[illegible]	[illegible] वृहद परियोजना	16150	6056.33	4069	5200	4700	637.90
[illegible]	[illegible] मध्यम परियोजना	2250	846.51	2050	1500	1098	0.00
[illegible]	[illegible] मध्यम [illegible]	3470	1304.87	3470	C.S.D. का कार्य प्रगतिरत		0.00
[illegible]	[illegible] सागर (बाह)	9893	3705.64	1258	3000	1575	402.20
[illegible]	[illegible] मध्यम परियोजना	9500	3567.20	6304	2246	1770	528.4
[illegible]	[illegible] मध्यम परियोजना	9478	3551.22	1163	3000	3878	433.77
[illegible]	[illegible]	70918	26568.03	6028	11000	7350	860.20
[illegible]	[illegible] मध्यम [illegible]	9262	3470.34	2595	3500	2300	0.00
[illegible]	[illegible] वृहद परियोजना	11105	4759.66	8389	1606	1606	0.00
[illegible]	[illegible] परियोजना	28127	12873.30	1060	10100	5200	871.66
[illegible]	[illegible] मध्यम परियोजना	4714	1684.70	1819	2447	1222	0.00
	योग :–	**1037739**	**293191.22**	**555285**	**156120**	**113446**	**5950.73**

[illegible] बैंक पोषित <u>राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना</u> :–

[illegible] विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय, सुलभ उपयोगकर्ताओं के [illegible] सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना [illegible] तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के आंकड़ों

को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी का यथोचित उपयोग एवं प्रसार करना सम्मिलित है।

3.3.1 जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण :

जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण का कार्य क्षेत्र वैनगंगा, माही, एवं ताप्ती कछार में था। इसकी अवधि वर्ष 1995 से दिसम्बर 2003 तक थी। इसके अन्तर्गत वर्षामापी स्थल, गेज डिस्चार्ज स्थल, पूर्ण मौसम केन्द्र, सेंडिमेंन्ट्री सर्वे मापन कार्य, सिल्ट प्रयोगशाला एवं जल गुणवत्ता प्रयोगशालायें नवीन तकनीक के अनुसार स्थापित कर उन्नत करने का कार्य एवं स्थापित उपकरणों से प्राप्त आंकड़ो का प्रमाणीकरण एवं विश्लेषण का कार्य किया गया।

3.3.2 जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण :

जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण का कार्य अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य मई 2014 निर्धारित किया गया था। योजना की कुल लागत रू. 14.90 करोड़ थी। योजना पूर्ण की जा चुकी है। परियोजना में मुख्यतः वास्तविक समय में जल संसाधनों का विकास तथा जलाशयों के संचालन के प्रबंधन में सुधार तथा विकास का कार्य किया गया।

3.3.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना :

भारत सरकार द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुल लागत रू. 3679.77 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य हेतु 90.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2016–24 तक आठ वर्षों की अवधि का होगा।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में मध्यप्रदेश के गंगा कछार (टोन्स, सोन, बेतवा, सिंध, केन धसान, एवं चंबल उप कछार) तथा नर्मदा कछार का आंशिक जल ग्रहण क्षेत्र तथा माही एवं ताप्ती कछारों के कार्यो को शामिल किया गया है। घटकों के अंर्तगत स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

Component	Description of Project Component	Grant Share in Rs. Crores		
		World Bank	MOWR GoI	Total
A	Water Resources Data Acquisition System (जल संसाधन डाटा अधिग्रहण प्रणाली)	27.00	27.00	54.00
B	Water Resources Information System (WRIS) (जल संसाधन सूचना प्रणाली)	2.25	2.25	4.50
C	Water Resources Operation and Planning System (जल संसाधन संचालन एवं योजना प्रणाली)	6.25	6.25	13.50
D	Institutions Capacity Enhancement (संस्थागत क्षमता संवर्धन/विकास)	9.00	9.00	18.00
	TOTAL	45.00	45.00	90.00

उपकछारों में जल बहाव, वर्षा, भूजल आदि के वास्तविक समय के आंकड़ों का एकत्रीकरण (RTDAS) कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाएंगे, जिसका उपयोग प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकन के युक्तियुक्तकरण करने में सहायक होगा। उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य में जल विज्ञान अनुसंधान हेतु विभाग के साथ–साथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा।

नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाएं :–

नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	जिला	चरण	लागत (रू लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	नाबार्ड स्वीकृत राशि (रू लाख में)	कुल व्यय (रू लाख में)
[illegible]	कोटखेड़ी मध्यम परियोजना	शाजापुर	XVIII	6647.00	3350	1183.23	6665.53
[illegible]	दतुनी परियोजना	देवास	XIX	23554.41	98	13774.74	21454.65
[illegible]	[illegible]नपुर मध्यम परियोजना	सागर	XVIII	12746.45	7000	11309.00	6614.04
[illegible]	अपर तिलवारा मध्यम परियोजना	सिवनी	XIX	12002.00	7950	9061.58	8743.36
[illegible]	पेंच व्यपवर्तन यूनिट – 1 यूनिट – 2	छिंदवाड़ा	XVI XVII	254457.00	85000	42261.12 35858.20	120466.86
[illegible]	बारना वृहद परियोजना	रायसेन	XIX	58100.00	88000	41504.00	29131.18
[illegible]	सीप कोलार लिंक परियोजना	सीहोर	XVII	13721.00	6100	7659.87	11128.20
[illegible]	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांध)	राजगढ़	XXI	386634.00	125000	44151.73	40695]39
[illegible]	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांयी तट नहर)	राजगढ़	XXII			43147.66	33224.77
[illegible]	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांयी तट वितरक नहर)	राजगढ़	XXIII			90793.29	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
[illegible]	पंचम नगर मध्यम परियोजना	दमोह	XXIII	67489.92	25000	30540.71	6108.14
[illegible]	सेमरी मध्यम परियोजना	रायसेन	XVIII	15043.60	5700	12171.35	12171.35
	योग			850395.38	353198	383416.48	255708.08

3.5 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) वर्ष 2017–18

3.5.1 राज्य में सिंचाई, जल प्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जल संसाधनों के भंडारण हेतु बांधों का निर्माण किया गया है। ICOLD (International Commission on Large Dams) के मापदंड अनुसार म.प्र. में 906 बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इन बांधों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन सामयिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विश्वबैंक के सहयोग से देश के कुल 223 बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु डेम **रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) परियोजना** प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत संबंधित मुख्य अभियंताओं के प्रस्ताव अनुसार प्रारंभिक रूप से 50 बांधों का चयन केन्द्रीय जल आयोग तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत किया गया है।

इस परियोजना में शामिल 50 बांधों हेतु प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत रू. 314.55 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.10 को प्रदाय की गई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2014 को 29 बांधों हेतु राशि रु. 173.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई। इस परियोजना को 6 वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में फंडिंग पेटर्न 80:20 (विश्व बैंक : राज्य) रखा गया है। दिनांक 21.12.2011 को विश्व बैंक के साथ परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु अनुबंध किया जाकर दिनांक 18.04.2012 से परियोजना प्रभावशील हो गई है। परियोजना का कार्यकाल 6 वर्ष का है। परियोजना के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई हैं, अतः यह जून 2020 तक प्रभावी रहेगी। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत बांधों में निर्धारित क्षमता तक भराव होने से सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि होगी एवं बांधों की सुरक्षा दीर्घावधि के लिए सुनिश्चित होगी। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(अ) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
(ब) बांध सुरक्षा की आधार भूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
(स) बांधों के उन्नयनीकरण एवं सुधारात्मक कार्य करवाना।

परियोजना के प्रभावी कियान्चयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के आदेश कमांक एफ 22–10/2013/पी–1/इकतीस (01) दिनांक 29.07.2013 द्वारा बोधी के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

ड्रिप में 25 बांधों का चयन अंतिम रूप से किया गया है। वर्तमान में परियोजना की लागत रु. 168.80 करोड़ सीमित हो गई है। सभी 25 बांधों की हाइड्रोलॉजी, केन्द्रीय जल आयोग एवं बोधी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में 14 बांधों में सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 11 बांधों के सुधार कार्य प्रगति पर हैं। ड्रिप अंतर्गत मार्च 2017 तक रु. 103.16 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में दिसंबर 2017 तक रु. 8.95 करोड़ व्यय किये गये हैं।

3.5.2 डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP-II) ड्रिप–2 :–

ड्रिप – 2 के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित 26 बांधों के लिए रु. 103.264 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को विश्व बैंक सहायतार्थ परियोजना अंतर्गत भेजे गये हैं ।

स.क्र.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ में)
1	भगवंत सागर (सुक्ता) परियोजना	17.743
2	वीरपुर तालाब परियोजना	7.410
3	चंदिया तालाब परियोजना	1.109
4	चंदोरा परियोजना	2.680
5	चोरल परियोजना	3.500
6	देपालपुर तालाब परियोजना	2.720
7	डोकरी खेड़ा परियोजना	5.110
8	गांधीसागर परियोजना	14.563
9	हताईखेड़ा परियोजना	0.868
10	काचन तालाब परियोजना	5.140
11	काका साहेब गाडगिल सागर परि.	1.510
12	कलियसोत परियोजना	1.521
13	केरवा बांध परियोजना	1.127
14	कुडा तालाब परियोजना	1.332
15	माही परियोजना	9.041
16	मानसरोवरी तालाब परियोजना	2.074
17	मटियारी परियोजना	0.917
18	नंदनवाश तालाब परियोजना	0.448
19	पोपलिया कुमार तालाब परियोजना	1.476
20	राजघाट परियोजना	3.165
21	रेतम बैराज	7.600
22	रूमल तालाब परियोजना	2.667
23	रूपनियाखाल तालाब परियोजना	4.555
24	साकल्दा तालाब परियोजना	0.430
25	टिल्लर परियोजना	4.480
26	वीरसागर तालाब परियोजना	0.078
	कुल योग	103.264

3.6 बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना टीकमगढ़ एवं दतिया जिले हैं । इस क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार के द्वारा वर्ष–2010 में राशि रु. 1118.00 करोड़ का प्रथम चरण एवं वर्ष–2014 में राशि रु. 700.00 करोड़ का द्वितीय चरण में विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में राशि रु. 1533.27 करोड़ निवेश किया जा चुका है।

प्रथम चरण :–

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि (रू.करोड़)	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	2017 में रबी सिंचाई (हेक्टर में)	प्रगति
1	बरियारपुर परियोजना का निर्माण	176.00	1	43850	40005	कुटनी बाँध पूर्ण नहर 99 प्रतिशत पूर्ण
2	सिंहपुर बैराज का निर्माण	100.00	1	9900	9035	शीर्ष कार्य 99.5 प्रतिशत नहर 99 प्रतिशत पूर्ण
3	निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनायें	125.00	49	18236	18236	योजनाएं पूर्ण।
4	नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	467.00	97	33733	28518	योजनाएं पूर्ण
5	उर्मिल एवं रनगवां परियोजना की नहरों की क्षमता का पुनर्स्थापन	63.55	2	14170	14900	पूर्ण
	योगः–	931.55	150	119889	110694	

द्वितीय चरण :–

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड़	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	प्रगति
1	पंचमनगर मध्यम परियोजना	184.17	01	12600	निर्माणाधीन
2	सोनपुर मध्यम परियोजना	89.22	01	7000	निर्माणाधीन
3	पवई मध्यम परियोजना	183.08	01	9952	निर्माणाधीन
4	लघु सिंचाई परियोजनायें	203.53	21	11081	14 योजनाएं पूर्ण । एक योजना कोर्ट केस से प्रभावित है । शेष प्रगतिरत ।
	योग :–	660.00	24	40633	

अध्याय – चार

सिंचाई एवं राजस्व : लक्ष्य एवं उपलब्धियां

4.1 सिंचाई

इस वर्ष 2017–18 में जनवरी 2018 तक 23.32 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। सिंचाई परियोजनाओं में कमजोर हिस्सों को मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित किया गया और इन हिस्सों में किए जाने वाले कार्यों का आंकलन किया गया। जो कार्य ठेके से हो सकते थे उन्हें ठेके से तथा जो ठेके के माध्यम से कम समय में संभव नहीं थे उन्हें विभागीय तौर पर कराया गया। इसमें विभागीय विद्युत यांत्रिकी अमले को भी शामिल किया गया। इस कार्य में उपलब्ध विभागीय मशीनों का उपयोग कर नहरों की सफाई, सिल्ट निकालने, बैडग्रेड बनाने, अधूरी नहरों को पूर्ण करने एवं नहरों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया। इस कार्य को अधिक गति देने एवं वर्षा पूर्व पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर भारी मशीनें लगाई गईं। जिन तालाबों में स्लूस गेट से लीकेज होता था अथवा अन्य कारणों से लीकेज से जल अपव्यय होता था, उन्हें चिन्हित कर ठीक किया गया। अधिकांश तैयारियां वर्षा आने के पूर्व कर ली गई।

वर्षा काल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए बड़े/मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत् मॉनिटरिंग 'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम' के उपयोग से की गई। प्रतिदिन वर्षा जल भराव बिना किसी खतरे के अधिकतम हो सके, इसके लिए जलद्वारों को समय समय पर खोलकर जल बहाव को नियंत्रित किया गया।

25 सितम्बर की स्थिति में राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की मात्रा को कम्प्यूटर पर ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था कर अमल में लाया गया। उपलब्ध जल के आधार पर हर परियोजना का रबी सिंचाई लक्ष्य मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया। विभाग की वेबसाइट पर 'इरिगेशन मानिटरिंग सिस्टम' में इन लक्ष्यों को दर्ज किया गया तथा की गई सिंचाई के आंकड़ों की इस सिस्टम में पाक्षिक प्रविष्टी की व्यवस्था बनाई गई। वीडियो कान्फ्रेस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से पूरे रबी सत्र में सिंचाई की सतत् मानिटरिंग की गई है। सिंचाई की मानिटरिंग हेतु अंतिम छोर में स्थित (Tail-end) कृषकों से उनके मोबाईल पर संपर्क कर मैदानी अधिकारियों द्वारा सतत जायजा लिया गया।

इस वर्ष (2017–18) कम वर्षा के कारण बांधों में औसत 65 प्रतिशत जल भराव ही उपलब्ध रहा इसके बावजूद उपरोक्तानुसार रणनीति में विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने एक टीम बनाकर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2018 तक खरीफ 1.31 लाख हेक्टर एवं रबी में 23.34 लाख हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध 23.32 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा चुकी है। यह उपलब्धि सतत् अनुश्रवण, कुशल जल प्रबन्धन के कारण संभव हो सकी।

बाणसागर परियोजना, जिला शहडोल

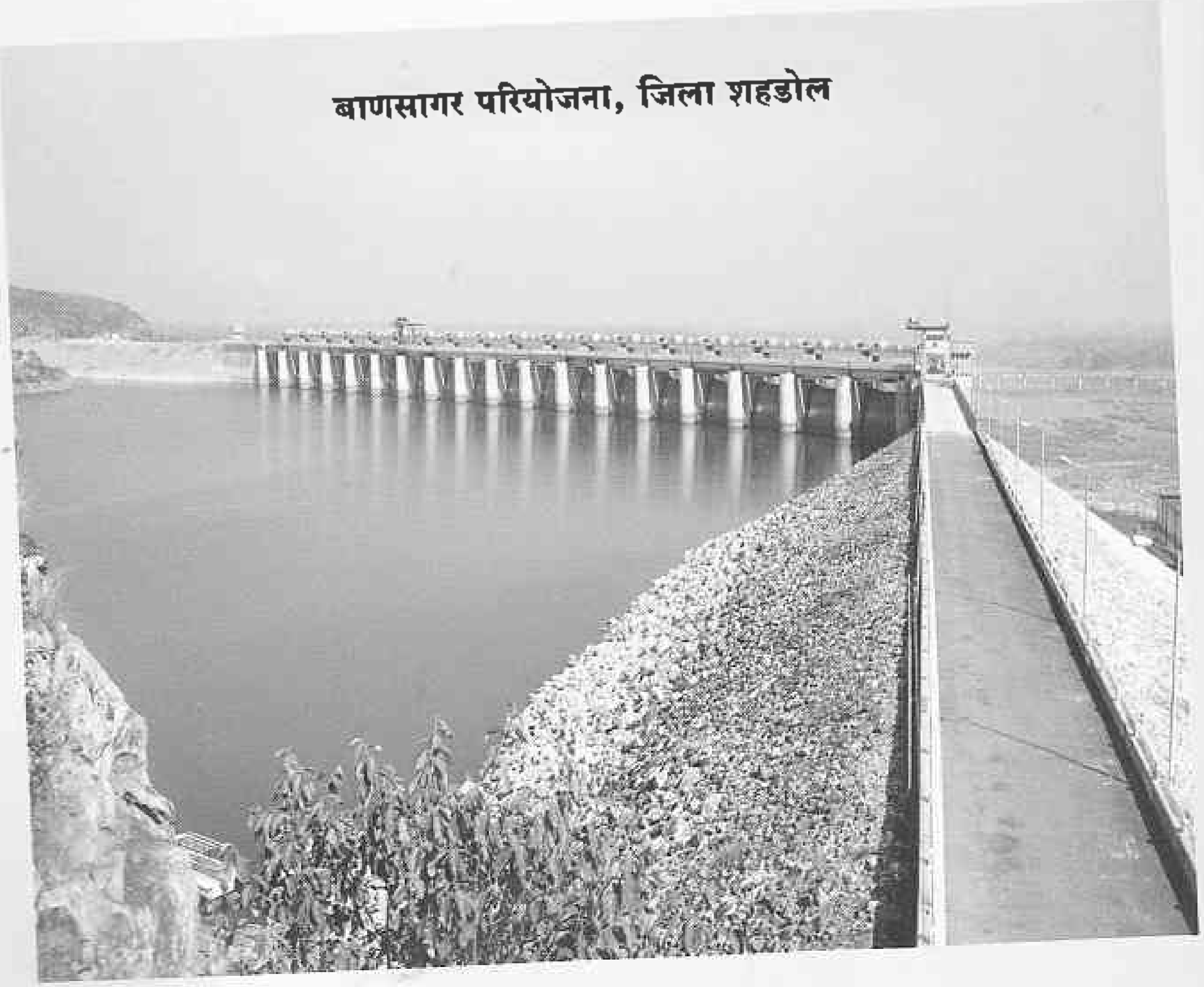

कछारवार सिंचाई

मुख्य अभियंता	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 01/18 तक
[illegible] बेतवा कछार	234153	285868	311853	347516	349532	281530
[illegible] केन कछार	178525	213723	205150	135401	243009	150142
[illegible] कछार	179935	212123	235308	213023	231933	225048
[illegible] ताप्ती कछार	253330	361152	355646	419268	422120	369228
[illegible]	379350	400128	409440	421207	427439	399064
[illegible] नहर परियोजना	238816	247020	261265	268867	269269	266969
[illegible] कछार	156640	185416	175286	163012	222227	178887
[illegible] कछार	399912	424926	438084	476392	486095	460700
[illegible] योग	2020661	2330356	2392032	2444686	2651624	2331568
[illegible] सिंचाई	N.A.	216006	216966	305716	251122	131,041
[illegible]		2546362	2608998	2750402	2902746	2462609

वर्षवार / कछारवार रबी सिंचाई

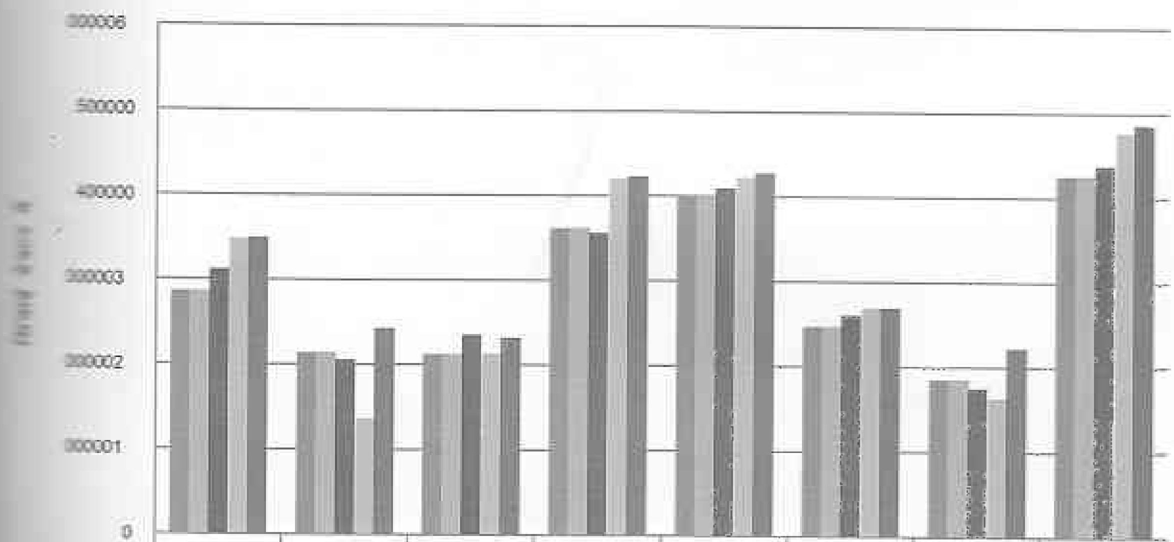

	234153 चम्बल बेतवा कछार	178525 धसान केन कछार	179935 गंगा कछार	253330 नर्मदा ताप्ती कछार	379350 होशंगाबाद	18832 राजघाट नहर परियोजना	156640 वैनगंगा कछार	399912 यमुना कछार
[illegible] 2012–13	285868	27312	21212	361152	400128	247020	185416	424926
[illegible] 2013–14	285868	213723	212123	361152	400128	247020	185416	424926
[illegible] 2014–15	311853	205150	235308	355646	409440	261265	175286	438084
[illegible] 2015–16	347516	135401	213023	419268	421207	268867	163012	476392
[illegible] 2016–17	349532	243009	231933	422120	427439	269269	22222	486095

4.2 राजस्व

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। इस हेतु राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वर्तमान में भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इन बाँधों द्वारा संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल,विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु किया जाता है। मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26 ''ए' के अंतर्गत जल पर शासन का अधिकार है। 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जल दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की रख–रखाव की पूर्ण राशि जल कर से प्राप्त हो सके एवं यह भी ध्यान रखा जावे कि इस प्रक्रिया से कृषकों पर अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े। वर्तमान में कृषि उत्पादन के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की राजस्व दरें, बांध एवं नहरों के निर्माण एवं रखरखाव लागत की तुलना में अत्यन्त ही कम रखी गई हैं। कृषक यदि किसी अन्य स्रोत से जल प्राप्त करते हैं तो उन्हें विभाग के द्वारा निर्धारित राजस्व राशि से कम से कम 8 गुना से अधिक राशि देना होगी। पिछले वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में अत्यधिक वृध्दि हुई है, लेकिन कृषि के लिए प्रदाय किये जाने वाले पानी की दरों में वर्ष दिसंबर, 2005 से कोई वृध्दि नहीं की गई है। पेयजल दर में भी वर्ष 2000 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा कृषि एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी हेतु लिया लाने वाला जल शुल्क न्यूनतम है एवं प्रतीकात्मक ही है।

4.2.1 मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मो से कृषि प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची (प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)

क्रमांक	फसलों का नाम	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
1	धान–खरीफ (प्रत्येक बार पानी)	85
2	हरी घास वाली फसलें– मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड़द	50
3	कपास (प्रत्येक बार पानी)	70
4	धान–रबी (प्रत्येक बार पानी)	155
5	गेंहू 1. पलेवा 2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी पर	 125 75
6	चना (प्रत्येक बार पानी)	75
7	धनिया,मूंगफली, (रबी), मूंग (रबी) सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन,(रबी) तुअर, (रबी) (प्रत्येक बार पानी)	75
8	जौं, बैगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां	630
9	बरसीन घांस (फोडर क्राप)	480
10	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960

11	जमीन तैयार करने के लिए जल (पलेवा) अ– खरीफ ब– रबी	 125 125
12	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक बार पानी	50

4.2.2 पेयजल के लिए जल दर :

शासन ने पत्र क्रं. 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा अधिसूचना जारी कर निगम और नगरो के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की है। उक्त दर 1/4/2000 से प्रभावशील है एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्धि होगी।

4.2.3 औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल दर :

शासन के आदेश क्रमांक 18/1/91/मध्यम/31/797 दिनांक 30/11/2010 द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 01.01.2013 तक अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल दरों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार 01.01.13 से दरें निम्नानुसार है:–

क्रमांक	जल स्त्रोत	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
अ	शासकीय स्त्रोतों से (यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि)	5.50 रु प्रति घनमीटर
ब	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से –	
	1. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में ।	1.55 रू. प्रति घनमीटर
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशामें	1.55 रू. प्रति घनमीटर
	शासकीय जल भण्डारण परियोजनाओं यथा बाध, नहर,बैराज आदि से **जल विद्युत परियोजनाओं** की जेनेरिटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल से, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना।	20 पैसे प्रति विद्युत इकाई (किलोवाट/घंटा) दर दिनांक 1.1.10 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।
	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना ।	05 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट/घंटा उत्पादन दिनांक 1.10.2010 से एव प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।

4.3 प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	वर्ष	कृषि सिंचाई		पेयजल		उद्योग		म.प्र.रा.वि.मंडल		अन्य		कुल योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2	2012-13	67.20	30.48	21.50	2.65	240.20	242.13	62.00	9.34	9.10	33.61	400.00	318.21
3	2013-14	59.75	25.26	21.46	2.76	235.50	147.01	24.19	53.03	9.10	14.23	350.00	242.30
4	2014-15	61.00	22.74	18.40	0.94	234.00	132.50	26.40	19.50	10.20	21.70	350.00	197.37
5	2015-16	74.33	24.63	36.02	2.73	296.12	187.64	42.61	50.19	50.92	25.64	500.00	290.83
6	2016-17	175.74	24.75	12.56	3.01	225.98	196.64	64.03	158.34	21.69	12.72	500.00	395.45
7	2017-18 (upto12/17)	225.19	29.65	40.83	2.85	212.40	95.86	103.00	87.05	18.58	23.86	600.00	239.27

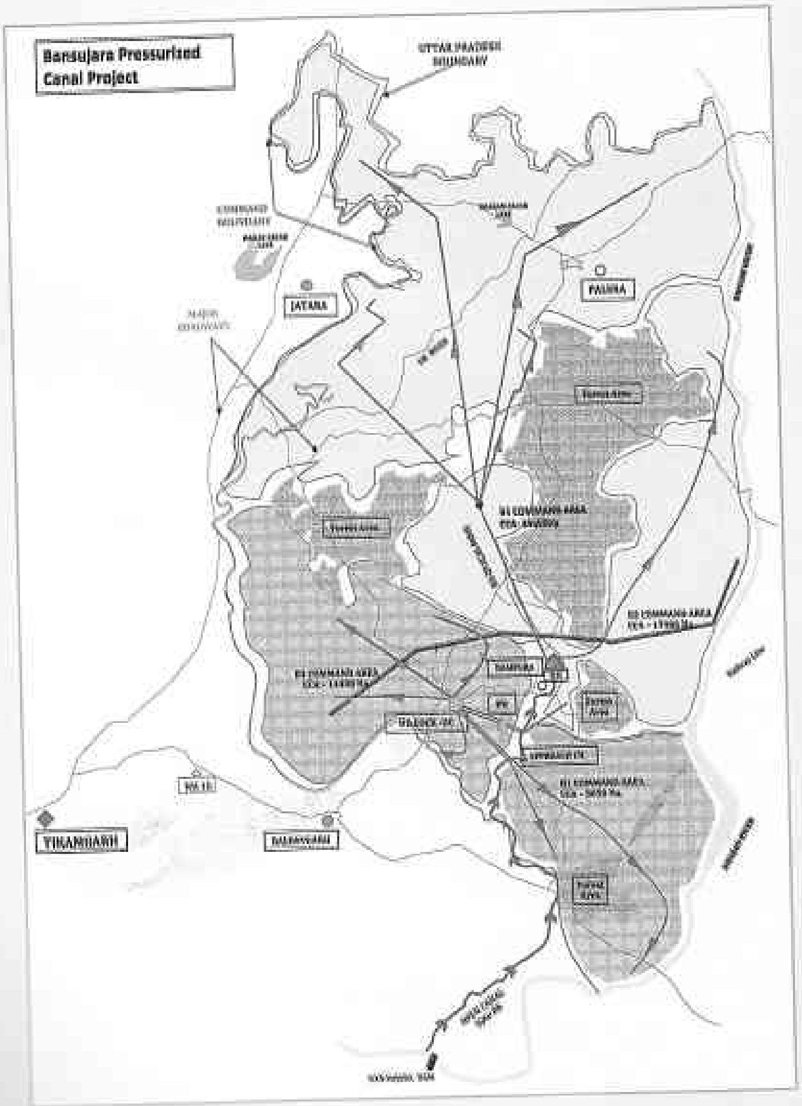

अध्याय – पाँच

विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 बाँध सुरक्षा संगठन–

बाँध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बाँधों का निरीक्षण कर बाँधो की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बाँधो को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बाँधो के सुधारों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष, सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता, सदस्य तथा संचालक, बाँध सुरक्षा उसके सचिव नियुक्त किऐ गए है।

5.1.1 बाँध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्यः–

- बाँध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
- राज्य स्तरीय बाँधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बाँधो के निरीक्षण प्रतिवेदनों की परिवीक्षा करना तथा इनके आधार पर बाँधो की स्थिति के संबध में प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त बड़े बाँधों का प्रथम चरण निरीक्षण 5 वर्षों के अन्तराल में किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अनुशंसा करना।
- बड़े बाँधो जिनकी ऊंचाई 15 मी. से अधिक या जल क्षमता 60 मि.घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाना।
- निर्माणाधीन समस्त बड़े बाँधो के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। संपूर्ण बड़े बाँधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, की परिवीक्षा करना।
- बड़े बाँधो में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ो का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- बांध सुरक्षा समिति द्वारा प्राथमिकता अनुसार बांधों के द्वितीय चरण सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना।
- बांध में बड़ी आपदा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों को सहयोग करना, विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के लिए कार्यवाही करना तथा उक्त पैनल के सुझावों को समन्वित करना। पैनल द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण कार्य में समन्वय करना तथा पैनल को प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देना।
- राज्य के समस्त बड़े बाँधो की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बाँध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।

- बाँध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिये बांध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख–रखाव, संचालन तथा आपात कालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.2 संचालक, पी.आई.एम.

5.2.1 मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी

देश में मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठनों को कार्य करने हेतु स्वतंत्र एवं वैधानिक रुप से अधिकृत किया गया है।

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होने के पश्चात् प्रथम बार माह मई 2015 में 79 जल उपभोक्ता संथाओं एवं माह मार्च 2016 में 180 जल उपभोक्ता संथाओं तत्पश्चात् माह नवम्बर 2016 में 1765 जल उपभोक्ता संथाओं एवं मई 2017 में 21 जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य एवं अध्यक्षों के लिए निर्वाचन कराए गए हैं।

वर्तमान में कुल 2045 जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से 24.59 लाख हेक्टर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य सहभागिता से किया जा रहा है।

मई 2015 एवं मार्च 2016 में निर्वाचित 259 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्षों एवं सक्षम प्राधिकारियों को वाल्मी भोपाल के माध्यम से सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है। नवम्बर 2016 में निर्वाचित 1765 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सक्षम प्राधिकारियों को माह मार्च 2017 से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिनको वाल्मी भोपाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विभिन्न परियोजनावार गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या एवं कमाण्ड क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रक्र.	योजना का प्रकार	जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कमांड क्षेत्र (लाख हेक्ट)
1	वृहद परियोजनाएं	723	14.03
2	मध्यम परियोजनाएं	209	3.35
3	लघु परियोजनाएं	1113	7.21
	योग	**2045**	**24.59**

मुख्य अभियंतावार जल उपभोक्ता संथाओं की जानकारी

स. क.	मुख्य अभियंता का नाम	जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
1	गंगा कछार, रीवा	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	223	2.13
5	राजघाट परियोजना, दतिया	141	2.53
6	यमुना कछार, ग्वालियर	221	4.54
7	नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	414	2.84
8	धसान केन कछार, सागर	236	2.10
	योगः–	**2045**	**24.59**

परियोजनावार जल उपभोक्ता संथाओं की जानकारी

स. क.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.सं.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
1	गंगा कछार, रीवा	70	1.44	14	0.21	90	0.75	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	108	2.02	57	0.77	232	1.59	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	176	3.04	15	0.25	48	0.37	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	16	0.28	45	0.84	162	1.00	223	2.13
5	राजघाट परियोजना, दतिया	134	2.47	3	0.03	4	0.02	141	2.53
6	यमुना कछार, ग्वालियर	164	3.97	16	0.30	41	0.27	221	4.54
7	नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	21	0.29	36	0.55	357	2.00	414	2.84
8	धसान केन कछार, सागर	34	0.52	23	0.39	179	1.20	236	2.10
	योगः–	**723**	**14.03**	**209**	**3.35**	**1113**	**7.21**	**2045**	**24.59**

5.3 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय :–

विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अंतर्गत भोपाल (हथाईखेड़ा) में एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1970 में की गई । तदोपरान्त वर्ष 1985 में यू.एस.ए.आई.डी. के अंतर्गत भोपाल प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया एवं जबलपुर में अस्थायी मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला प्रारम्भ की गयी, जो कि वर्ष 1988 से स्थायी रूप से संचालित है।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं धातु परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में संचालनालय मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल के अधीन कार्यरत है। संचालनालय, सिंचाई अनुसंधान के अधीन म.प्र. के अंतर्गत निम्नानुसार तीन प्रयोगशालायें कार्यरत हैं :–

1. जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल।
2. मिट्टी, धातु एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल।
3. मिट्टी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, जबलपुर

I. संचालनालय के अंतर्गत प्रयोगशालाओं में निम्नानुसार मैदानी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान किया जाता है :–

(A) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :–

1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफारमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना।
2) प्रस्तावित एनर्जी डिसीपेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना।
3) निर्माणाधीन परियोजना का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।
4) परियोजना के गेट ऑपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।
5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।
6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।

वर्ष 2017–18 में निम्न परियोजनाओं के मॉडल अद्यतन कर रिपोर्ट प्रेषित की गयी:–

1. मोहनपुरा परियोजना की गेट ऑपरेशन स्टडी रिपोर्ट ।

(B) मिट्टी, पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल एवं जबलपुर :–

1) परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना।
2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं।
3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व काम्पेक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आंकलन करना।
4) सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी की मात्रा का मिक्स डिजाइन द्वारा विभिन्न ग्रेड की कांक्रीट हेतु निर्धारण करना।
5) पक्के बांधों से होने वाले जल रिसाव के रासायनिक परीक्षण करने का कार्य।

वर्ष–2017–18 में संपादित परीक्षण का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	मिट्टी परीक्षण (कुल नमूने)	रेत परीक्षण (कुल नमूने)	धातु परीक्षण (कुल नमूने)	सीमेंट परीक्षण (कुल नमूने)	कुल नमूने
1.	मिट्टी / धातु परीक्षण संभाग, भोपाल	001	69	296	796	612
2.	मिट्टी / धातु परीक्षण संभाग, जबलपुर	147	–	54	–	02

II. हथाई खेड़ा प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण :–

हथाईखेड़ा प्रयोगशाला में मिट्टी एवं धातु परीक्षण तथा रसायन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

5.4 जल मौसम विज्ञान संचालनालय :–

मध्यप्रदेश में जल मौसम विज्ञान संरचना की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल मौसम विज्ञान के अंतर्गत स्थापित विभिन्न वर्षा मापी केन्द्रों जल प्रवाह मापन स्थलों एवं मौसम केन्द्रों से आंकड़े एकत्रित करना एवं उनका उपयोग विभागीय कार्यों हेतु करना है।

इन कार्यों के सम्पादन हेतु सर्वप्रथम विभागीय मद से प्रदेश के विभिन्न कछारों में जल मौसम विज्ञान स्थलों की नेटवर्क की स्थापना वर्ष 1981 में शुरु की गई थी । इसके पश्चात् विश्व बैंक की सहायता से जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत 1995 से 2003 तक माही, ताप्ती एवं वैनगंगा कछारों में स्थापित जल मौसम विज्ञान केन्द्रों का उन्नयन एवं कुछ नये कार्यस्थल स्थापित किये गये । जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती एवं माही कछार में डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये हैं । जल मौसम के हर घंटे के ऑकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाइम डाटा एक्विजीशन सिस्टम (RTDAS) वैनगंगा कछार में स्थापित किया गया । इस प्रणाली के अंतर्गत 29 वर्षामापी, 3 पूर्ण मौसम केन्द्र एवं 14 वाटर लेवल रिकार्डर स्थापित किया गया । RTDAS का सम्पूर्ण डाटा भोपाल स्थित डाटा सेंटर में प्राप्त हो रहा है ।

5.5 भू–जल सर्वेक्षण ईकाई:–

भूजल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन 1970 से भूजल के सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना में मुख्य अभियंता बोधी के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल जो कि चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 23 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों तथा चार रसायनिक प्रयोगशालाएँ सागर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल तथा अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर तीन

संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय जबलपुर, बालाघाट, रीवा तथा 14 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों के साथ एवं तीन रासायनिक प्रयोगशालाओं जबलपुर, बालाघाट एवं सतना के साथ भूजल सर्वेक्षण, अध्ययन, भूजल विकास एवं भूजल विश्लेषण का कार्य कर रहा है ।

भू–जल सर्वेक्षण संरचना के नियमित कार्यः–

भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 5071 स्थायी अवलोकन कूप एवं 540 पीजो मीटर हैं। इस संरचना द्वारा भूजल स्तर मापन एवं अध्ययन का कार्य वर्ष में चार बार 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम के दौरान) 20 से 30 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) एवं 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।

1. पीजोमीटर में भूजल स्तर का मापन कार्य प्रतिमाह किया जाता है।
2. भूजल नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कार्य वर्ष में दो बार 20–30 मई (वर्षा पूर्व) 01 नवंबर से 10 नवंबर (वर्षा पश्चात्) किया जाता है।
3. भूजल आंकलन प्रतिवेदन प्रति दो वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है।
4. कूप एवं नलकूप खनन हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु भू–भौतिकी सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत एच.पी.–1 और एच.पी.–2 में हुए कार्यों का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है।

भूजल सर्वेक्षण संरचना की प्रस्तावित योजनायें :–

(1) अटल भूजल योजना (ABHY)

इस योजना के अंतर्गत बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 5 जिले सागर, दमोह पन्ना छतरपुर एवं टीकमगढ़ के 9 विकासखण्ड (सभी ब्लाक सेमीक्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं) में भूजल के संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियॉ ली जाना प्रस्तावित हैं ।

क्र.	जिला	विकासखण्ड
1	सागर	सागर
2	दमोह	पथरिया
3	पन्ना	अजयगढ
4	छतरपुर	छतरपुर, नौगांव एवं राजनगर
5	टीकमगढ़	निवाडी, बलदेवगढ़ एवं पलेरा

वर्तमान में योजना में केन्द्र सरकार द्वारा EFC अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलन में है ।

(2) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-HKKP-GW) :–

इस योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी कम्पोनेंट में भूजल के उपयोग से कुएँ एवं ट्यूबवेल इत्यादि खोदकर सिंचाई किये जाने बाबत् भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर योजना प्रस्तावित की गई है, इस योजना अर्थात् (PMKSY-HKKP-GW) में कार्य करने हेतु ऐसे पांच जिलों का चयन किया गया है, जहॉ वर्तमान ने सिंचाई कम है । यह जिले हैं :– 1. मण्डला, 2. डिंडोरी, 3. उमरिया, 4. शहडोल, 5. पन्ना।

वर्तमान में इस योजना में क्रियान्वयन संबंधी सहमति तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन की कार्यवाही अपेक्षित है ।

5.6 <u>केन बेतवा लिंक परियोजना</u> :–

केन–बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें केन नदी पर दोधन बांध एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना है। केन नदी मध्यप्रदेश के कटनी जिले से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलकर समाप्त होती है। केन नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 87 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश में और 13 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। साथ ही बेतवा कछार में बीना काम्पलेक्स, कोठा बैराज तथा लोअर ओर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना से मध्यप्रदेश में माइक्रो इरीगेशन से केन कछार मे 4.47 लाख हेक्टर, बेतवा कछार में 2.00 लाख हेक्टर एवं उत्तरप्रदेश में 2.27 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई तथा छतरपुर, पन्ना एवम टीकमगढ जिले मे पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना से उत्पन्न होने वाली समस्त बिजली (78 MW) पर पूरा अधिकार मध्यप्रदेश का रहेगा।

दिनांक 25 अगस्त 2005 को बुन्देलखंड की केन–बेतवा लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report DPR) तैयार करने हेतु म.प्र. शासन, उ.प्र. शासन एवं भारत सरकार के मध्य त्रिपक्षीय मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टेडिंग (Memorandum of Understanding MOU) हस्ताक्षरित किया गया। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की डीपीआर उपलब्ध कराने तथा पूर्व वांछित विभिन्न स्वीकृतियां यथा वन एवं पर्यावरण आदि प्राप्त करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (National Water Development Agency NWDA) को सौपी गई। NWDA द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से परियोजना की डीपीआर दो चरणो मे बनाई गई।

प्रथम चरण:– NWDA द्वारा प्रथम चरण की डीपीआर वर्ष 2010 मे तैयार किया गया जिसके अनुसार केन नदी पर छतरपुर जिलें में दोधन बांध, दो पॉवर हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण शामिल है। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 75 प्रतिशत निर्भरता पर दोधन बांध पर कुल पानी की आवक 6590 MCM है, जिसमें से अपस्ट्रीम में उपयोग के लिये 2266 MCM पानी सुरक्षित रखने पर 4324 MCM शेष बचता है। Regeneration 442 MCM शामिल करने पर कुल 4766 MCM पानी दौधन बांध पर उपलब्ध रहता है। दोधन बांध की प्रस्तावित जीवित जल क्षमता 2684 MCM है। योजना में कुल डूब क्षेत्र 9000 हेक्टर है जिसमें 5258 हेक्टर घना वन क्षेत्र, 2171 हेक्टर कृषि योग्य भूमि, 1571 हेक्टर तालाबों, नदियों, नालों की भूमि आ रही है। डूब क्षेत्र के 10 ग्रामों के लगभग 2000 परिवार भी विस्थापित हो रहे हैं। भारत सरकार से प्राप्त वन भूमि की अनुमति में लगभग 6017 हेक्टर राजस्व भूमि देने की बाध्यता हैं। इससे 30 ग्रामों के लगभग 2500 परिवार अतिरिक्त विस्थापित होंगे। वर्ष 2015–16 के मूल्य आधार पर परियोजना की पुनरिक्षित लागत रु. 18057 करोड आंकलित की गई है।

द्वितीय चरण:– बेतवा कछार में तीन परियोजनाये क्रमश रु. 3735 करोड की लागत से प्रस्तावित बीना काम्पलेक्स से 90,000 हेक्टर, रु. 814 करोड की लागत से प्रस्तावित कोठा

बैराज से 20000 हेक्टर तथा रु. 2208 करोड की लागत से प्रस्तावित लोअर ओर से 90,000 हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। दोनों चरणो की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैं :–

स. क्रं.	सैंच्य क्षेत्र	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत (करोड़ रूपये में)	वन स्वीकृति	पर्यावरण स्वीकृति
1	दोधन बांध, केन बेतवा लिंक केनाल	4.47 लाख –म.प्र. 2.27 लाख –उ.प्र.	18057#	स्टेज–1 प्राप्त	प्राप्त
2	लोअर ओर	90000	2208	स्टेज–1 प्राप्त	प्राप्त
3	बीना काम्पलेक्स परियोजना	90000	3735	स्टेज–1 प्राप्त	प्राप्त
4	कोठा बैराज	20000	814	आवश्यक नहीं	प्रक्रियाधीन (TOR स्वीकृत)

 # कमांड क्षेत्र के अनुसार नहर प्रणाली की लागत अद्यतन की जानी शेष है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश एवं सचिव (जल संसाधन, आर.डी. एवं जी.आर.) भारत सरकार के मध्य केन बेतवा लिंक परियोजना के ड्राफ्ट एम.ओ.यू. को अंतिम स्वरूप देने हेतु संपन्न हुई बैठक के प्रस्ताव पर म.प्र. शासन जल संसाधन का अभिमत एवं उ.प्र. शासन द्वारा उठाये गये बिंदुओं से मुख्य अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया गया है।

5.7 जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रकरण

जल संसाधन विभाग से संबंधित लोकायुक्त संगठन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, माननीय मुख्य मंत्री, सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि, शासन तथा सामान्यजनों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ के अंतर्गत लोकायुक्त कक्ष, सतर्कता कक्ष, सामान्य शिकायत/जन शिकायत निवारण कक्ष, एकल नस्ती/उड़न दस्ता कक्ष के माध्यम से वर्ष 2017–18 में दिनांक 30/12/17 की स्थिति में प्राप्त एवं व्यवहारित शिकायती प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

5.7.1 लोकायुक्त कक्ष :–

5.7.1.1 लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरण :–

लोकायुक्त कक्ष व्दारा लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :–

दिनांक 01/01/17 से 30/12/17 तक लोकायुक्त कार्यालय से 22 शिकायतें प्राप्त हुई। प्रकोष्ठ द्वारा लोकायुक्त कार्यालय व्दारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

5.7.1.2 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण यूरो से प्राप्त प्रकरण :—

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो व्दारा सीधे मूलतः विभाग को प्रेषित तथा शासन के माध्यम से विभाग को मूलतः प्रेषित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाकर जांच प्रतिवेदन शासन/ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है । दिनांक 01/01/17 से दिनांक 30/12/17 तक 21 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए । विभाग द्वारा शिकायती प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

5.7.2 सतर्कता कक्ष :—

माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, अन्य मंत्रीगण, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव महोदय एवं शासन से प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता कक्ष के माध्यम से की जाती है । तथा जांच उपरांत निर्देशानुसार जांच प्रतिवेदन शासन तथा उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाते है । दिनांक 01/01/17 से 30/12/17 तक 36 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये । इस अवधि में 27 प्रकरण जांच पश्चात् नस्तीबद्ध किये गये हैं । शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

5.7.3 जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायतें/एकल नस्ती प्रकरण/उड़न दस्ता प्रकरण :—

शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा सामान्य नागरिक, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों से सीधे अथवा शासन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इस कक्ष द्वारा व्यवहारित की जाती हैं।

5.7.3.1 जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें :—

वर्ष 2017—18 में दिनांक 30/12/17 तक 22 शिकायती प्रकरण, जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त हुये, दिनांक 01/01/17 से 30/12/17 तक कुल 05 प्रकरणों का निराकरण किया गया । शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

5.7.3.2 सामान्य शिकायतें :—

वर्ष 2017—18 में दिनांक 30/12/17 तक 68 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये, दिनांक 01/01/17 से 30/12/17 तक 19 प्रकरणों का निराकरण किया गया । शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

5.7.3.3 एकल नस्ती प्रकरण :—

दिनांक 01/01/17 से 30/12/17 तक शासन से 22 शिकायतें प्राप्त हुई है । इस अवधि में 01 प्रकरण का निराकरण किया गया है । शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

5.7.3.4 उड़नदस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :—

दिनांक 01/01/17 से 30/12/17 तक उड़न दस्ता दल से जांच हेतु 11 प्रकरण प्राप्त हुये। जिनकी जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5.8 न्यायालयीन प्रकरण :–

विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी जनवरी–2018 की स्थिति में निम्नानुसार है:–

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
1	दै.वे.भो. से संबंधित	184	12	511	43	251	66	2	0	1069
2	कार्यभारित से संबंधित प्रकरण	02	01	236	2	44	01	0	0	286
3	नियमित स्थापना से संबंधित प्रकरण	0	0	466	02	40	01	0	0	509
4	ठेकेदारों से संबंधित	02	0	118	05	06	0	58	99	288
5	भू–अर्जन से संबंधित	0	0	711	01	02	0	1903	0	2617
6	अन्य जन सामान्य से संबंधित प्रकरण	03	0	167	11	24	03	76	3	287
	कुल योग	**191**	**13**	2209	64	**367**	**71**	**2039**	**102**	5056

5.9 विधानसभा प्रकोष्ठ :–

विभाग में वर्ष 2017–18 में प्राप्त विधान सभा प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन, अधिसूचना, अशासकीय संकल्प, अभ्यावेदन, याचिका की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रकरण के प्रकार	दिसंबर–2017 तक
विधान सभा प्रश्न	17
ध्यानाकर्षण सूचना	7
अधिसूचना	0
अशासकीय संकल्प	0
स्थगन प्रस्ताव	1
आश्वासन	46
अभ्यावेदन	1
याचिका	91
शून्य काल	1
कट मोशन	0
पढ़ी गई सूचना	9

5.10 सूचना का अधिकार

जल संसाधन विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा– निर्देशों के अनुरूप मई 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। "सूचना के अधिकार" के संबध में विभागीय मेन्युअल के अनुरूप जनसाधारण शासकीय अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में शासन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी अवर सचिव, लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी सचिव, जल संसाधन हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया हैं। प्रमुख अभियंता विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं।

5.11 दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018 एवं प्राप्त उपलब्धियां

शासन के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सिंचाई क्षमता के विकास हेतु दृष्टिपत्र बनाया गया था, जिसके विरूद्व अद्यतन/दिसम्बर 2017 तक निम्नानुसार उपलब्धियां प्राप्त की जा चुकी है :–

- सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की प्रदेश के अभूतपूर्व कृषि विकास में विगत पाँच वर्षो सिंचाई सुविधा के व्यापक विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में जहाँ कृषि क्षेत्र बढ़ाने पर निरंतर बल दिया जाता रहेगा, वहीं उपलब्ध जल का दक्षतापूर्ण उपयोग भी एक बड़ी चुनौती होगी। कमाण्ड क्षेत्र विकास, लघु सिंचाई का उपयोग तथा आर्थिक मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता दी जायेगी।

- *प्रतिवर्ष दो लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।*

  जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2014 से दिसम्बर 2017 तक कुल 4.64 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

- *12 वीं योजना में परिलक्षित सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रबी में संचयी वास्तविक सिंचित क्षेत्र को कम से कम 33 लाख हेक्टर तक ले जाया जायेगा।*

  31.08.2017 तक जल संसाधन विभाग द्वारा 30.28 लाख हेक्टेयर एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा 5.72 लाख हेक्टेयर कुल 36.00 लाख हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है ।

- *वर्ष 2018 तक सिंचाई में करीब 700 लघु परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।*

  01.04.2013 से 31.12.2017 तक विभाग द्वारा 760 लघु योजनाऐं पूर्ण की गई ।

- *वर्तमान की सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नहरी अस्तरीकरण की पहल की जायेगी।*

  विभाग में निर्माणाधीन समस्त वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में नहर अस्तरीकरण का कार्य किया जा रहा है । वर्तमान में पूर्व निर्मित 9 (तवा, बारना, माण्डेर, चम्बल, रामपुर–मकरौदा, संजय सरोवर, हर्सी, राजघाट एवं धोलावड़) वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के अस्तरीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों की राशि रू. 1464 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है ।

- *चिन्हित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास सिद्धांत आधारित माईक्रो इरीगेशन क्षेत्राच्छादन में पाँच गुना से अधिक की बढ़ोतरी।*

प्रदेश में वर्तमान में कुल 13 वृहद एवं 18 मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाऐं निर्माणाधीन हैं । इनके पूर्ण होने पर क्रमशः 6,37,773 हेक्टर एवं 1,40,610 हेक्टर कुल 7,78,383 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी ।

- *कुल पॉच लाख हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण।*

  लक्ष्य के विरूद्व दिनांक 31.12.2017 तक 6.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वाटरकोर्स, फील्ड चैनल का निर्माण किया जा चुका है ।

- *जल प्रयोग की दक्षता में वृद्धि हेतु आर्थिक मूल्यांकन को बढ़ावा और विशेषज्ञ सलाह सुनिश्चित करने के लिए एक जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।*

  (मध्यप्रदेश अधिनियम कमांक 28 सन 2013) मध्यप्रदेश जलविनियमन 2013 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13 अगस्त 2013 में हो चुका है । जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना प्रकियाधीन है ।

- *सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजाओं में कमाण्ड क्षेत्र का विकास किया जायेगा।*

  वर्तमान में कमाण्ड क्षेत्र का विकास कार्यकम के अन्तर्गत 14 वृहद तथा 9 मध्यम कुल 23 परियोजनाओं के 2967.71 करोड़ के कार्य प्रगति पर है ।

- *सभी नई मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजओं में कमाण्ड क्षेत्र के 10 प्रतिशत का माईक्रो इरीगेशन के तहत आच्छादन। भविष्य में सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र का दो –तिहाई घटक माइक्रो इरीगेशन का होगा।*

  कार्यवाही पूर्ण है। समस्त नवीन स्वीकृत वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियाजनाओं में प्रेशराईज्ड पाईप सिंचाई प्रणाली से दो तिहाई घटक के स्थान पर सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई का प्रावधान रखा जा रहा है । दिनांक 31.08.2017 तक रू. 23432 करोड़ एवं 860621 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र की 12 वृहद एवं 20 मध्यम परियोजनाऐं स्वीकृत की जा चुकी है । वर्षान्त 2018 तक रू. 7562 करोड़ एवं 3.40 लाख हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र की 6 वृहद एवं 16 मध्यम परियोजनाओं की स्वीकृति करना लक्षित है ।

- *सतही और भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग को सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जायेगा।*

  सतही और भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग को सभी बड़ी और मध्यम परियाजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में संयुक्त उपयोग लागू किया जा रहा है ।

- *सभी बड़े कमांड क्षेत्रों के लिये एक प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित की जायेगी।*

  कार्यवाही पूर्ण । कमिश्नर कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय के अन्तर्गत बजट कन्ट्रोल, सुपरविजन तथा मॉनिटरिंग के लिये परियोजना प्रशासकों की पदस्थापना कर प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है ।

- *WALMI और संबंधित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार।*

  मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक 451/2014/वी–5/22/स्था./दिनांक 01.07.2014 द्वारा WALMI की पुनर्संरचना की गई है जिसमें दो स्वतंत्र स्कूलों (1) जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास स्कूल (2) सैंच्य क्षेत्र विकास स्कूल की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्याय – छः

जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि

मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इस उद्देश्य से म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 4 (क) (एक) के द्वारा किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भू–धारकों की पत्नियॉ जो कि भू–धारक नही है, को भी भू–धारक मान्य किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदाय किया जाकर सशक्त किया गया है।

म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 32/1/99/मध्यम/31/1244 दिनांक 13.5.2000 के अनुसार यदि किसी कृषक संगठन में कोई महिला सदस्य निर्वाचित नही होती तो कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसी संगठन क्षेत्र की किसी महिला को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी, ताकि सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 11 के अधीन कृषक संगठन के संचालन के लिए गठित की जाने वाली 6 उपसमितियों में से एक उपसमिति "महिलाओं की भागीदारी उपसमिति" गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें सभी 6 सदस्य महिलायें होंगी एवं इस समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रदेश में विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें सशक्त बनाए जाने के लिंऐ कृषि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये भी प्रावधान है।

मोहनपुरा परियोजना जिला राजगढ़
(बांयी तट उद्‌वहन प्रणाली, बीरमपुर पम्प हाऊस)

अध्याय –सात

विभाग की प्रतिबद्धताएं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1 विभाग की प्रतिबद्धता :

मध्यप्रदेश शासन पूर्ण संकल्पित है कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाये। जल संसाधन विभाग को सैंच्य क्षेत्र बढाने का महती दायित्व सौंपा गया है। कृषकों को सिंचाई सुविधा में बढ़ावा देना एवं उन्नत किस्म के खाद–बीज हेतु ऋण सस्ते ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने बावत समुचित प्रयास किये जाना कृषकों के लिए अति महत्वपूर्ण है।

सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा सभी दिशाओं में समुचित प्रयास कर सफलता प्राप्त की जा रही है। आगामी तीन वर्षों में 5.25 लाख हेक्टर अतिरिक्त निर्मित सिंचाई किया जाना लक्षित है, जिससे प्रदेश में कुल निर्मित सिंचाई क्षमता 29.94 लाख (मार्च 2017 की स्थिति में) से बढ़कर 35.19 लाख हेक्टर हो जायेगी।

राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य किये जाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 में सिंचाई प्रक्षेत्र के लिये रु. 8715.33 करोड़ का निवेश किया जाकर 5.07 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 में रु. 21827.55 करोड़ का निवेश कर 5.41 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई ।

सभी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई जल पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के जल का उच्चतम दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित् हो सके। इसी क्रम में समस्त वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कराने का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराने का निर्णय लिया गया है जिससे जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हो सके।

सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य से माईक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की मोहनपुरा, बानसुजारा, कुण्डालिया, पंचमनगर, चंदेरी, गरोठ, नईगढ़ी एवं रामनगर वृहद परियोजनाओं तथा पारसडोह मध्यम परियोजना में माइक्रो इरिगेशन पद्धति से सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान किये गये हैं।

विभाग के द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ–साथ नाबार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि से भरसक प्रयास कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम धनराशि प्राप्त की जा रही है।

7.2 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- विभाग को वर्ष 2017–18 में निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध आवंटन रु. 8413.96 करोड़ के विरूद्ध दिसंबर 2017 तक रु. 4998.64 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वर्ष 2017–18 में 1.75 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक 1.00 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है।
- वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा रबी सिंचाई लक्ष्य 23.34 लाख हेक्टर के विरुद्ध जनवरी 2018 तक 23.32 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा चुकी है।
- 3 वृहद् परियोजनाएं सिंगरौली जिले की गौड़ परियोजना, मंदसौर जिले की शामगढ़ सुवासरा उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं शिवपुरी जिले की लोअर ओर परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जाकर निर्माण प्रक्रिया में है।
- 3 मध्यम परियोजनाओं दमोह जिले की सतधारू, खण्डवा जिले की ऑवलिया एवं सागर जिले की कड़ान परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जाकर निर्माण की कार्यवाही प्रकियाधीन हैं।
- वर्ष 2017–18 में विभिन्न मदों के अंतर्गत दिसंबर–2017 तक 105 नवीन लघु योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जिनके पूर्ण होने पर कुल 41,363 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- वर्ष 2017–18 में कुल 100 लघु योजनाएं पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर–2017 तक कुल 70 लघु सिंचाई योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं, जिनसे 29,201 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।
- वर्ष 2017–18 में दिसंबर–2017 तक आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत 19 योजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिससे 20,896 हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई।
- मोहनपुरा, कुण्डलिया एवं बानसुजारा वृहद परियोजनाओं के निर्माण कार्य त्वरित गति से प्रगतिशील हैं। इनके पूर्ण होने पर 3,25,000 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 3 वृहद एवं 8 मध्यम परियोजनाएँ (कुल 11 योजनाऐं) निर्माणाधीन हैं।
- कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 1.56 लाख हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2017 तक 1.14 लाख हेक्टर में कमांड क्षेत्र विकास कार्य किये गये हैं।
- सिंचाई के दौरान जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों एवं नहर के अंतिम छोर के किसानों से मोबाईल फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे सतत् संपर्क करके सिंचाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनीटरिंग की गई जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित किया गया।
- नवंबर 2016 में 1765 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष व सदस्यों के निर्वाचन संपन्न करवाये गये। वर्तमान में वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में 2045 जल उपभोक्ता संथाएं कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 24.59 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

माही परियोजना, जिला धार

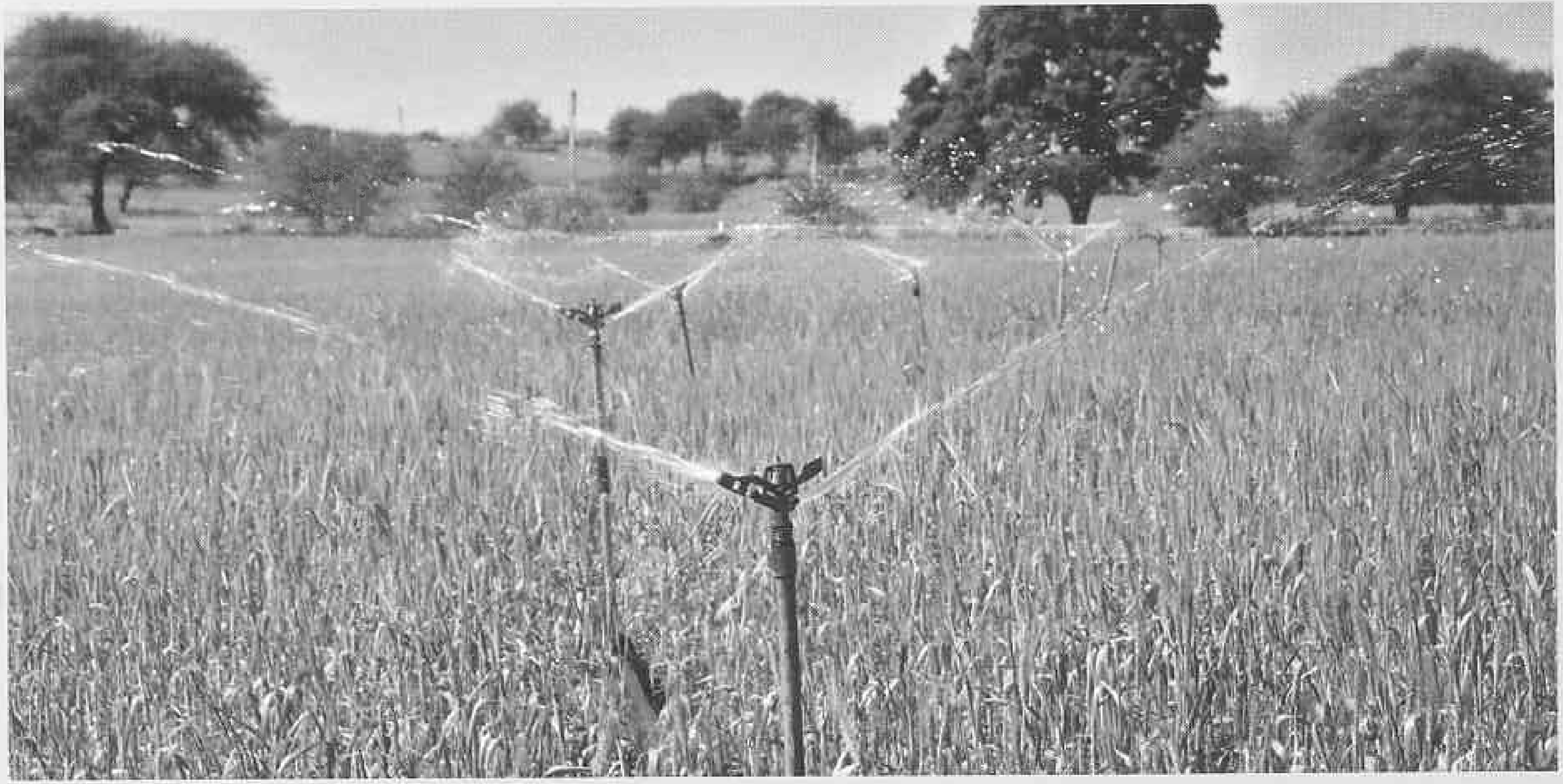

स्प्रिंकलर–वाल्व नं. 4

बानसुजारा बांध, जिला टीकमगढ